

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2013—वैशाख 13, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. ई-5-562-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 23 से 26 मार्च 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एस. निरंजन, आयएस., आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान

कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एस. निरंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-828-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला दमोह को दिनांक 24 फरवरी से 4 मार्च 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वतंत्र कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2013

क्र. ई-5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती मधु खरे, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 18 से 23 फरवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 24, 25 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-1-84-2013-5-एक.—वर्ष 2013 के गेहूँ उपार्जन में प्रशिक्षण तथा सहायता के लिये निम्नलिखित भा. प्र. से. अधिकारियों को हरदा जिले में दिनांक 31 मई, 2013 तक के लिये संबद्ध किया जाता है :—

क्रमांक अधिकारी का नाम व वर्तमान पदस्थापना

1. श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी (2011), सहायक कलेक्टर, इन्दौर.
2. सुश्री नेहा मार्व्या (2011), सहायक कलेक्टर, बैतूल.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. ई-1-84-2013-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मार्च, 2013 के पद-1, जिसके द्वारा श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, भाप्रसे (2011), सहायक कलेक्टर, इन्दौर को वर्ष 2013 के गेहूँ उपार्जन में प्रशिक्षण तथा सहायता के लिये हरदा जिले में दिनांक 31 मई, 2013 तक के लिये संबद्ध किया गया है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-353-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री स्वदीप सिंह, आयएएस., अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 5 से 10 अप्रैल 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री स्वदीप सिंह, की अवकाश अवधि में श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री स्वदीप सिंह द्वारा अध्यक्ष, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रभार से मुक्त होगी

(5) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-411-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजय नाथ, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अजय नाथ की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री शिवनारायण मिश्रा, आयएएस., सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग तथा सचिव, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय नाथ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय नाथ द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण मिश्रा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2013

क्र. ई. 1-101-2013-5-एक.—श्री एम. मोहन राव, भाप्रसे (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को केवल विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

क्र. ई. 1-100-2013-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रभांशु कमल (1985) राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग	-
2	श्री आर. के. चतुर्वेदी (1987) राहत आयुक्त प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्री प्रभांशु कमल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी भाप्रसे (1982), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता, पशुपालन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार केवल प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे. साथ ही डॉ. बिरदी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्र. ई. 1-197-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से. के अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर

अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अजय नाथ (1982) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मंडल.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. ई. 1-115-2013-5-एक.—श्री रमेश एस. थेटे, भाप्रसे (1983), अपर आयुक्त (राजस्व), उच्चैः संभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. एफ-ए-5-04-2013-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री यू. सी. माहेश्वरी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दि. 17-12-2012 से 21-12-2012 तक.	5 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश	-

क्र. एफ-ए-5-32-2011-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री जी. एस. सोलंकी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दि. 28-01-2013 से 15-02-2013 तक	19 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 25, 26 एवं 27-1-2013 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17-2-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. एफ-3-7-2012-एक-4.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2012 द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत बैंकों की अर्द्धवार्षिक लेखा बंदी सोमवार दिनांक 30 सितम्बर 2013 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था को निरस्त करते हुये, राज्य शासन आगामी वर्षों में इस दिन सामान्य कार्य दिवस घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ-3-7-2012-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2012 के अनुक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती रविवार, दिनांक 14 अप्रैल 2013 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. एफ-23-5-2013-पच्चीस-4.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री भुजवल अहिरवार, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मीनाक्षी मालवीय, अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. एफ-13-5-13-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला गुना के वाष्पयंत्र

क्रमांक एम. पी. 3772 तथा एम. पी. 4572 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 15 मार्च से 14 मई 2013 तक दो माह के लिए छूट देता है:—

- (1) संदर्भाधीन बाँयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बाँयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बाँयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा-13 की अपेक्षानुसार बाँयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बाँयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बाँयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बाँयलर नियम, 1969 के नियम-6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बाँयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ-13-4-13-अ-ग्यारह.— बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह सारनी, जिला बैतूल के विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी. 3220 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 11 फरवरी से 10 अगस्त 2013 तक छः माह के लिए छूट देता है:—

- (1) संदर्भाधीन बाँयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बाँयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बाँयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बाँयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बाँयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बॉयलर नियम, 1969 के नियम-6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद रफीक खान, उपसचिव.

- | (1) | (2) | (3) |
|-----|--|---|
| 5 | श्रीमती शशिकला चन्द्रा,
प्रथम अतिरिक्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम, दमोह. |
| 6 | श्री तुलसीराम उईके,
द्वितीय अतिरिक्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम, मण्डला. |
| 7 | श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे,
अतिरिक्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
चाचौड़ा, जिला गुना. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम, सतना. |

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. एफ-5-4-2013-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की स. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, जिनकी सेवाएं विधि विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 17 (ई) 51-05-21-ब (एक), दिनांक 22 मार्च 2013 द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपने एवं चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

- | क्र. | न्यायिक अधिकारी का नाम | पदस्थापना स्थान |
|------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनि.)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम, छतरपुर. |
| 2 | श्री राजेश गुप्ता, नवम अतिरिक्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम, उज्जैन. |
| 3 | श्री राजेश कुमार कोष्ठा,
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा./
ज. जा. (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, मण्डला. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम, सागर. |
| 4. | श्री राज कुमार भावे, प्रथम अति.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम, गुना. |

- | | | |
|----|---|--|
| 8 | श्री रामायण प्रताप सिंह चौहान
प्रथम अतिरिक्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम, होशंगाबाद. |
| 9 | श्री श्याम बिहारी भार्गव,
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा./
ज. जा. (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, दमोह. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम, शिवपुरी. |
| 10 | श्री कुशल पाल सिंह,
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा./
ज. जा. (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, शाजापुर. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम, भिण्ड. |
| 11 | श्री राम नारायण चौधरी,
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा./
ज. जा. (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, सतना. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
फोरम, मन्दसौर. |

No.5-4-2013-XXIX-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1-A) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) and on recommendation of the Selection Committee, the State Government hereby appoint on deputation the following judicial Officers whose services have been made available to this Department by the Department of Law & Legislative Affairs, Government of Madhya Pradesh, Bhopal on the post of President, District Consumer Forum, temporarily till further orders and post them at

the place stated against his name from the date they take over charge of his office.

No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Name of District Forum (3)
1	Shri Pradeep Kumar Shrivastava (Jr.) District & Sessions Judge Anuppur	District Consumer Forum, Chhatarpur.
2	Shri Rajesh Gupta, IX ADJ, Ujjain.	District Consumer Forum, Ujjain.
3	Shri Rajesh Kumar Koshta Special Judge, SC/ST (P. A.) Act, Mandla.	District Consumer Forum, Sagar.
4	Shri Raj Kumar Bhawe, I ADJ, Gadarwara District Narsinghpur.	District Consumer Forum, Guna.
5	Smt. Shashikala Chandra, I ADJ, Ujjain.	District Consumer Forum, Damoh.
6	Shri Tulsiram Uike II ADJ, Gadarwara, District Narsinghpur.	District Consumer Forum, Mandla.
7	Shri Rajendra Kumar Nagpure, ADJ, Chachoda, District Guna.	District Consumer Forum, Satna.
8	Shri Ramayan Pratap Singh Chouhan, I ADJ, Bhopal,	District Consumer Forum, Hoshangabad.
9	Shri Shyam Bihari Bhargava, Special Judge, SC/ST (P. A.) Act, Damoh.	District Consumer Forum, Shivpuri.
10	Shri Kushal Pal Singh, Special Judge, SC/ST (P. A.) Act, Shajapur.	District Consumer Forum, Bhind.
11	Shri Ram Narayan Choudhary Special Judge, SC/ST (P. A.) Act, Satna.	District Consumer Forum, Mandsaur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2013

क्र. एफ-02-08-05-चौवन-1.— राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नियम 53-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री सेम पावरी, निवासी, इन्दौर को

मध्यप्रदेश, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

2. इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्र. एफ-03-36-2006-तीन-जेल.—राज्य शासन, प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा-3 (1) सहपठित धारा-59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए द्वितीय चरण में जिला मुख्यालय स्थित उप जेल गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, भिण्ड एवं पन्ना को उन्नयन कर जिला जेल के समकक्ष घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. टी. एक्का, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्र. 861-3636-2012-तीन-जेल.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मैनुअल के नियम-815(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप जेल जौरा, जिला मुरैना के लिये श्री विनोद दुबे पिता स्व. श्री रतनलाल दुबे, पहाड़गढ़, तहसील जौरा, जिला मुरैना को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2013

संशोधन

क्र. एफ-7-107-2004-बतीस.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 नवम्बर 2011 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा-4(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संचालक मंडल में सदस्यों का नामनिर्देशन किया गया था.

2. उक्त अधिनियम की धारा 4(2) (ख) के अधीन राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्यों एवं धारा 4(2)(ङ) के अधीन राज्य शासन, के स्वामित्व के निगम/मंडल के प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्यों में राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नानुसार संशोधन करता है :—

(अ) अधिनियम की धारा 4(2)(ख) के अधीन राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य :—

- (1) प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग या उनके प्रतिनिधि.
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग या उनके प्रतिनिधि.
- (3) संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवाएं या उनके प्रतिनिधि.
- (4) मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग या उनके प्रतिनिधि.
- (5) आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश या उनके प्रतिनिधि.

(द) अधिनियम की धारा 4(2)(ङ) के अधीन राज्य शासन के स्वामित्व के निगम/मंडल के प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य :—

- (1) कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल या उनके प्रतिनिधि.
- (2) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल या उनके प्रतिनिधि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. एफ 1(ए)111-1986-ब-2-दो.—श्री संजय चौधरी, भापुसे, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 5 से 12 अप्रैल 2013 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 13, 14 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृहनगर यात्रा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत परिवार

के निम्नलिखित सदस्यों के साथ “कोलकाता होते हुए केरल” की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री संजय चौधरी — स्वयं
2. डॉ. रूचिरा चौधरी — पत्नी

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री संजय चौधरी, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री संजय चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय चौधरी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. एफ 1(ए)271-1986-ब-2-दो.—श्री अशोक दोहरे, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी एवं अग्निशमन सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 9, 10 मार्च 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री अशोक दोहरे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दोहरे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)191-1991-ब-2-दो.—श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 1 से 17 जून 2013 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत “नुब्रा घाटी लेह (जम्मू एवं कश्मीर)” की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री अशोक अवस्थी — स्वयं
2. श्रीमती मंजरी अवस्थी — पत्नी
3. कु. आरूषि अवस्थी — पुत्री
4. कु. अतिष्या अवस्थी — पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (पूर्व) लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 1(ए)1-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अजीत, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बालाघाट को दिनांक 4 से 5 फरवरी 2013 तक, कुल दो दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चार दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजीत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्र. एफ 1(ए)53-2003-ब-2-दो.—श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा को दिनांक 5 से 9 अप्रैल 2013 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. एफ 21-255-2011-बी-1-दो.—माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 15115/2011 श्रमिक आदिवासी संगठन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जिला हरदा के लिये शिकायत निवारण प्राधिकरण के गठन संबंधी विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2013 में मनोनीत सदस्य श्री सैयद हेमराज अली के पिता के नाम श्री सोहेब अली के स्थान पर सैयद अली पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 50) राज्य शासन, श्री जय पाटीदार पिता श्री अम्बाप्रसाद पाटीदार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रतलाम है. उसकी जन्मतिथि 15 फरवरी 1985 है.

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 51) राज्य शासन, सुश्री वर्षा सुर्यवंशी पिता श्री गुलाबराव सुर्यवंशी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई 1987 है.

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 78) राज्य शासन, श्री नानसिंह ताहेड़ पिता श्री काला ताहेड़ को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक,

अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ है। उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त, 1978 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 83), राज्य शासन, श्री दशरथ सिंह भिड़े पिता श्री गणपत सिंह भिड़े को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला धार है। उसकी जन्मतिथि 28 अक्टूबर, 1982 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 88) राज्य शासन, सुश्री संगीता डावर पिता श्री वेस्ता डावर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है। उसकी जन्मतिथि 12 जुलाई, 1986 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 91) राज्य शासन, श्री धर्मेन्द्र खण्डायत पिता श्री जमनादास खण्डायत को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट है। उसकी जन्मतिथि 14 मार्च, 1975 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

फा. क्र. 17(ई) 67-2008-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक

से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु श्रम विभाग को सौंपता है :-

क्र. (1)	नाम तथा पद (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री राकेश कुमार शर्मा, 16वें सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, इन्दौर.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर (श्रीमती नीलम शुक्ला के स्थान पर).
2	श्री अखिलेश कुमार धाकड, द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, मन्दसौर.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मन्दसौर (श्री सुशील कुमार जोशी के स्थान पर).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव।

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

फा. क्र. 1(बी) 31-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2007 के द्वारा श्री उमा शंकर अग्निहोत्री, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला इन्दौर को नियुक्त किया गया था।

श्री उमा शंकर अग्निहोत्री, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला इन्दौर की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव।

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

फा. क्र. 3(सी) 8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री जी. के. शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थाई पद पर रु. 2500/- (रु. दो हजार पांच सौ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक, नियुक्त करता है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याया प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2013

आदेश

क्र. एफ 67-147-10-तीन-367.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, राऊ, जिला इन्दौर के आम निर्वाचन में सौ. कौशल्या बाई अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, सौ. कौशल्या बाई को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सौ. कौशल्या बाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सौ. कौशल्या बाई को कारण बताओ

सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में सौ. कौशल्या बाई से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर (लिखित अभ्यावेदन) चाहा गया था। सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी सौ. कौशल्या बाई को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 14 जून 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 29 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 19 नवम्बर 2012 में प्रतिवेदित किया है कि —अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करते हुए लगभग 2 वर्ष 8 माह बाद प्रस्तुत किया है, अतएव निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचन संबंधी दिशा निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वतः ही निरर्हित हो गई हैं.”

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 10 फरवरी 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, लेकिन उक्त दिवस को अवकाश होने से पुनः अभ्यर्थी को दिनांक 12 मार्च 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया। किन्तु अभ्यर्थी सौ. कौशल्या बाई आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 10 फरवरी 2013 हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 दिसम्बर 2012 के संबंध में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 15 फरवरी 2013 के संलग्न अभ्यर्थी सौ. कौशल्या बाई का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें अभ्यर्थी सौ. कौशल्या बाई द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि “निर्वाचन में मैं हार गई थी, इसके पश्चात् मेरे पुत्र का देहावसान हो चुका था, इसके वजह से मैं निर्वाचन व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकी। निर्वाचन लेखा पिछले दिनों मेरे द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के माध्यम से आपकी ओर प्रस्तुत किया गया था। अब चूंकि मैं, निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर चुकी हूँ तथा अब किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहती। अब समक्ष सुनवाई हेतु भी दिनांक 10 फरवरी 2013 को उपस्थित होने में भी शारीरिक रूप से असमर्थ हूँ। पूर्व में प्रस्तुत निर्वाचन के व्यय लेखा को ही स्वीकार करने का कष्ट करें तथा अगर पूर्व में प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा स्वीकार करने योग्य नहीं है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं, भविष्य में किसी भी प्रकार के निर्वाचन में भाग लेने की भी इच्छुक नहीं हूँ। “उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सौ. कौशल्या बाई द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सौ. कौशलया बाई** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् राऊ**, जिला इन्दौर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(**जी. पी. श्रीवास्तव**)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2013

आदेश

क्र. एफ 67-152-10-तीन-369.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद्, महूगांव**, जिला इन्दौर के आम निर्वाचन में **श्री अजय वर्मा** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक

18 जनवरी 2010 तक, **श्री अजय वर्मा** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री अजय वर्मा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री अजय वर्मा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 2012 को जारी कर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के माध्यम से तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री अजय वर्मा** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री अजय वर्मा** को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2012 को तामील कराया गया. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 29 जनवरी 2013 के संलग्न अभ्यर्थी के अभ्यावेदन दिनांक 15 दिसम्बर 2012 में अभ्यर्थी **श्री अजय वर्मा** ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है कि —मैंने महूगांव के अध्यक्ष पद का निर्वाचन लड़ा था, निर्वाचन में प्रचार आदि में किये गये व्यय लेखा की जानकारी मेरे द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही व्यय लेखा के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है.”

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी **श्री अजय वर्मा** द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 15 दिसम्बर 2012 में स्वयं ही स्वीकार किया है कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा अभी तक प्रस्तुत ही नहीं किया है. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री अजय वर्मा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् महूगांव**, जिला इन्दौर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(**जी. पी. श्रीवास्तव**)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. 2574-470-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
उच्चस्तर		
भोपाल संभाग		
1	श्री राकेश सिंह मरकाम	डिप्टी कलेक्टर
2	कु. दिव्या अवस्थी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
3	श्री मुकेश कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर
4	श्री इकबाल मोहम्मद रंगरेज	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
5	श्री अंजली सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
6	कु. नेहा शिवहरे	डिप्टी कलेक्टर
7	कु. अंजली द्विवेदी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
8	कु. सुमनलता माहौर	डिप्टी कलेक्टर
9	श्रीमती नीलम जैन	स.अ.भू-अभिलेख (सश्रेय)
10	श्री नारायण नन्डेड़ा	नायब तहसीलदार
11	श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी	नायब तहसीलदार
12	सुश्री मीना दशरिये	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
13	कु. अर्चना गुप्ता	नायब तहसीलदार
14	कु. प्रियंका नेताम	नायब तहसीलदार
15	श्री विकास चंद जैन	नायब तहसीलदार
16	कु. नेहा जैन	नायब तहसीलदार
17	श्री संजय कुमार बारसकर	नायब तहसीलदार
18	श्री शेखर चौधरी	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
19	श्री विनीत गोयल	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
20	श्री मनीष कुमार शुक्ला	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
21	कु. नीलिमा राजलवाल	नायब तहसीलदार
22	कु. माला अहिरवार	नायब तहसीलदार
23	कु. माला शर्मा	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
24	कु. संगीता मेहतो	नायब तहसीलदार
25	श्रीमती प्रेमलता पाल	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
26	श्री लक्ष्मण सिंह डिन्डोर	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
27	श्री प्रवीण पाटीदार	नायब तहसीलदार (सश्रेय)

(1)	(2)	(3)
28	श्री राजीव गोयल	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
29	कु. अंजलि गुप्ता	नायब तहसीलदार
30	श्री गौरीशंकर जाटव	नायब तहसीलदार
31	श्री प्रमेश जैन	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
32	श्रीमती रमादेवी कालवा	नायब तहसीलदार
33	सुश्री सविता यादव	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
34	श्री कुलदीपक कुमार दुबे	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
35	डॉ. अम्बर पंथी	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
36	श्री मुकेश कुमार राज	नायब तहसीलदार
37	सुश्री सुनीता साहनी	नायब तहसीलदार
38	सुश्री प्रीति नागेन्द्र	नायब तहसीलदार
39	श्री अजय राज सिंह कुशवाह	नायब तहसीलदार
40	श्री मनीष श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
41	श्री शिवशंकर सिंह गुर्जर	नायब तहसीलदार
42	श्री भूपेन्द्र कैलासिया	नायब तहसीलदार
43	श्री प्रशान्त सिंह सुमन	नायब तहसीलदार
44	श्री कमल सिंह मण्डेलिया	नायब तहसीलदार
45	श्री मनीष कुमार जैन	नायब तहसीलदार
46	श्री सुनील कुमार शर्मा दौनेरिया	नायब तहसीलदार
47	श्री शत्रुघ्न चतुर्वेदी	नायब तहसीलदार
48	श्री सुनील कुमार प्रभास	नायब तहसीलदार
49	श्री सुनील वर्मा	नायब तहसीलदार
50	श्री राजन शर्मा	राजस्व निरीक्षक
51	श्री देवेन्द्र शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
52	श्री मो. इदरीस खान	राजस्व निरीक्षक
53	श्री एन. एस. परमार	राजस्व निरीक्षक
54	श्री योगेश्वर सिंह भारतीय	राजस्व निरीक्षक
55	श्री राधेश्याम राठौर	राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

56	श्री रमेश कुमार जैन	नायब तहसीलदार
57	श्री अनिल कुमार अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
58	श्री नीरज कुमार कलशिया	राजस्व निरीक्षक
59	श्री चन्द्र शेखर शिल्पी	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

60	श्रीमती योगिता बाजपेई	नायब तहसीलदार
61	श्री बाबूखां पटान	स.अ.भू-अभिलेख
62	श्री मदन मोहन शर्मा	स.अ.भू-अभिलेख
63	श्री राजीव कुमार समाधिया	नायब तहसीलदार
64	श्री अनिल सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
65	श्री दृगपाल सिंह बैस	राजस्व निरीक्षक
66	श्री राकेश शर्मा	राजस्व निरीक्षक
67	श्री नरेश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
68	श्री मोतीलाल जाटव	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
69	श्री विश्राम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
70	श्री राम नरेश सिंह आर्य	राजस्व निरीक्षक
71	श्री कैलाश बाबू श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

72	सुश्री आकांक्षा चौरसिया	नायब तहसीलदार
73	श्री सौरभ वर्मा	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
74	सुश्री पूर्णिमा भगत	नायब तहसीलदार
75	कु. गुंजा परस्ते	नायब तहसीलदार
76	सुश्री जयोति ठोके	नायब तहसीलदार
77	कु. वर्षा झारिया	नायब तहसीलदार
78	श्री आशीष श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
79	सुश्री जानकी उईके	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
80	श्री विवेक व्यास	नायब तहसीलदार
81	श्रीमती मंजूषा शर्मा	स.अ.भू-अभिलेख
82	श्रीमती मर्यादा बागडे	स.अ.भू-अभिलेख
83	कु. निधि मार्को	स.अ.भू-अभिलेख
84	श्री राम लोचन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
85	श्री अनुराग खरे	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
86	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
87	श्री श्यामलाल धानक	राजस्व निरीक्षक
88	श्री राज कुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक

होशंगाबाद संभाग

89	श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक कलेक्टर
90	श्री राम सिपाही सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक

होशंगाबाद संभाग

91	श्री मुकेश बामनिया	नायब तहसीलदार
92	सुश्री प्रीति भिसे	नायब तहसीलदार
93	श्रीमती शिखा पोरस	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)

इन्दौर संभाग

94	श्री विजय कुमार सेनानी	नायब तहसीलदार
95	श्री नितिन चौहान	नायब तहसीलदार
96	श्री उपेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार
97	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
98	कु. रंजिता बावरे	नायब तहसीलदार
99	कु. वंदना चौहान	नायब तहसीलदार
100	श्री ललित कुमार ग्वालबशी	स.अ.भू-अभिलेख (सश्रेय)
101	कु. प्रियंका जैन	स.अ.भू-अभिलेख
102	श्री सुरेश चन्द बामनिया	राजस्व निरीक्षक
103	श्री ठाकुर प्रसाद दोहरे	राजस्व निरीक्षक
104	श्री दिनेश व्यास	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
105	श्री राधेश्याम पाटीदार	राजस्व निरीक्षक
106	श्री राधूसिंह हम्लावर	राजस्व निरीक्षक
107	श्री रामसिंह मचार	राजस्व निरीक्षक
108	श्री मोहम्मद इरशाद	राजस्व निरीक्षक
109	श्री मनोहर लाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक
110	श्री मनीष चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
111	कु. श्रध्दा गोसावी	राजस्व निरीक्षक
112	श्री रामकृष्ण दुबे	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

113	श्री नागेश्वर प्रसाद पनिका	नायब तहसीलदार
114	कु. रैना तामिया	नायब तहसीलदार
115	श्री अनिल पटेल	नायब तहसीलदार
116	श्री रमेश परमार	नायब तहसीलदार
117	कु. श्रध्दा तिवारी	नायब तहसीलदार
118	श्री संदीप कुमार जायसवाल	नायब तहसीलदार
119	श्री नीलेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार
120	श्री अरविन्द कुमार यादव	नायब तहसीलदार
121	श्री राजीव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
122	श्रीमती स्मिता कुमारी	स.अ.भू-अभिलेख
123	श्री कृष्णा नायक	राजस्व निरीक्षक
124	श्री वीरेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
125	श्री राघवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
126	श्री राज नारायण पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

127	श्री रामाधार अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
128	श्री शिव कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
129	श्री दिलीप सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
130	श्री विनोद कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
131	श्री कन्हैया दास पनिका	राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री अमरसिंह राजपूत	स.अ.भू-अभिलेख
2	श्री विजय सिंह सराटिया	स.अ.भू-अभिलेख
3	श्री यजुवेन्द्र वाघमारे	नायब तहसीलदार
4	कु. प्रियंका मिमरोट	नायब तहसीलदार
5	श्री हितेन्द्र कुमार भावसार	नायब तहसीलदार
6	श्री गजेन्द्र सिंह लोधी	नायब तहसीलदार
7	श्री फिरोज अली	राजस्व निरीक्षक
8	श्री योगेश श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
9	श्री ओ. पी. अवस्थी	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
10	श्री परवेज अली	राजस्व निरीक्षक
11	श्री सानत राव देशमुख	नायब तहसीलदार
12	श्री धनीराम बौद्ध (अहिरवार)	राजस्व निरीक्षक
13	श्री उमाशंकर विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक
14	श्री रतिराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
15	श्री ए. मुरलीधर	राजस्व निरीक्षक
16	श्री हेमराज मेहर	राजस्व निरीक्षक
17	श्री मुजीब उद्दीन खिलजी	राजस्व निरीक्षक
18	श्री मिश्रीलाल अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

19	श्री शैवाल सिंह	नायब तहसीलदार
20	श्री चन्द्र कुमार ताम्रकार	नायब तहसीलदार
21	श्री आलोक जैन	नायब तहसीलदार
22	श्री भूपेन्द्र मसराम	नायब तहसीलदार
23	श्री नितिन गोंड	नायब तहसीलदार
24	श्री दिलीप कुमार चौरसिया	नायब तहसीलदार
25	श्री संदीप कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार
26	श्री अभिनव शर्मा	नायब तहसीलदार
27	कु. मीनाक्षी जायसवाल	नायब तहसीलदार
28	श्री महेश प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक
29	श्री कोमल सिंह चढ़ार	राजस्व निरीक्षक
30	श्री राजेश मेहरा	राजस्व निरीक्षक
31	श्रीमती इन्दु गौड़	राजस्व निरीक्षक
32	श्री कमलेश कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
33	श्री अखिलेश कुमार बबेले	राजस्व निरीक्षक
34	श्री प्रीतम सिंह गोंड	राजस्व निरीक्षक
35	श्री ओम प्रकाश अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
36	श्री अशीष कुमार रूसिया	राजस्व निरीक्षक
37	श्री जय प्रकाश शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
38	श्री बहादुर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

39	श्री चन्द्र मोहन शर्मा	स.अ.भू-अभिलेख
40	श्री धीरेन्द्र कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार
41	श्री भूदेवसिंह महोबिया	राजस्व निरीक्षक
42	श्री मानसिंह रावत	राजस्व निरीक्षक
43	श्री रतीराम रावत	राजस्व निरीक्षक
44	श्री हरिओम सिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक
45	श्री लाल बहादुर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
46	श्री राम प्रसाद बरेलिया	राजस्व निरीक्षक
47	श्री तरसी सियुस लकड़ा	राजस्व निरीक्षक
48	श्री राम प्रकाश कनेरिया	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
49	श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
50	श्री सयैद गजनफर अली	राजस्व निरीक्षक
51	श्री हितेन्द्र सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
52	श्री ओम प्रकाश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
53	श्री जगदीश प्रसाद घांगोरिया	राजस्व निरीक्षक
54	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
55	श्री अजय शंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

56	श्री दिलीप हनवत	नायब तहसीलदार
57	सुश्री सुमनलता मरावी	नायब तहसीलदार
58	श्री विनोद कुमार मरावी	नायब तहसीलदार
59	श्री उमराव सिंह ठाकुर	स.अ.भू.-अभिलेख
60	श्री हल्के सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
61	श्री सरफराज अली	राजस्व निरीक्षक
62	श्री जगभान शाह उइके	राजस्व निरीक्षक
63	श्री प्रकाश कुमार परते	राजस्व निरीक्षक
64	श्री प्रसन्न कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
65	श्री राजेन्द्र प्रसाद झारिया	राजस्व निरीक्षक
66	श्री राजेश कुमार पटवा	राजस्व निरीक्षक
67	श्री जय सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
68	श्री जमना प्रसाद भगत	राजस्व निरीक्षक
69	श्री राजेन्द्र सिंह तेकाम	राजस्व निरीक्षक
70	श्री चेताराम पन्था	राजस्व निरीक्षक
71	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक

होशंगाबाद संभाग

72	श्रीमती सरिता धुर्वे	स.अ.भू.-अभिलेख
73	श्री कवीन्द्र नाथ राय	स.अ.भू.-अभिलेख
74	श्री अतुल कसार	राजस्व निरीक्षक
75	श्री सुरेश कुमार चौहान	राजस्व निरीक्षक
76	श्री विजय सिंह बेलवंशी	राजस्व निरीक्षक
77	श्री टोपसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
78	श्री संतोष पथोरिया	राजस्व निरीक्षक
79	श्री धनजी मालवीय	राजस्व निरीक्षक
80	श्री फत्या मानकर	राजस्व निरीक्षक
81	श्री शाकम्भरी प्रसाद द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
82	श्री राजेश कुमार त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक
83	श्रीमती संजू राजपूत	पटवारी
84	श्री संजीव कुमार मांडरे	राजस्व निरीक्षक
85	श्री दिलीप सिंह परते	राजस्व निरीक्षक
86	श्री कैलाश चन्द्र व्यास	राजस्व निरीक्षक
87	श्री मिट्टूलाल पंवार	राजस्व निरीक्षक
88	श्री राम सिपाही सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
उज्जैन संभाग		
89	श्री करमचन्द डोडियार	राजस्व निरीक्षक
इन्दौर संभाग		
90	श्री दिवाकर सुल्या	नायब तहसीलदार
91	श्री निरंजन सिंह राजपूत	स.अ.भू-अभिलेख
92	श्री वरूण कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
93	श्री रणजीत सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
94	श्री राजेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
95	श्री शंकर सिंह खपेड़	राजस्व निरीक्षक
96	श्री दिवेश डोंगरे	राजस्व निरीक्षक
97	श्री रजनीश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
98	श्री सुरेश कुमार राय	राजस्व निरीक्षक
99	श्री सुन्दर लाल सहारे	नायब तहसीलदार
100	श्री मनोज कुमार राय	नायब तहसीलदार
101	श्री नंद किशोर मालवीय	राजस्व निरीक्षक
102	श्रीमती पुनिया परमार	राजस्व निरीक्षक
103	श्री मुन्नालाल वास्कले	राजस्व निरीक्षक
104	श्री भागीरथ चौहान	राजस्व निरीक्षक
105	श्री मनीष बिरथरे	राजस्व निरीक्षक
106	श्री कैलाश प्रसाद यादव	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

107	श्री कैलाश प्रसाद कुर्मी	नायब तहसीलदार
108	श्री उत्तम कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
109	श्री बंशराखन सिंह	राजस्व निरीक्षक
110	श्री कन्हैया लाल मिश्र	राजस्व निरीक्षक
111	श्री दयाराम मार्को	राजस्व निरीक्षक
112	श्री सूर्यभान कोल	राजस्व निरीक्षक
113	श्री प्रदीप कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
114	श्री गया प्रसाद मिश्र	राजस्व निरीक्षक
115	श्री सुदामा प्रसाद कोरी	राजस्व निरीक्षक
116	श्री श्यामलाल कोरी	राजस्व निरीक्षक
117	श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
118	श्री राजेश कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
119	श्री राम प्रताप सोनी	राजस्व निरीक्षक
120	श्री इन्द्रभान सिंह	राजस्व निरीक्षक
121	श्री ब्रजेश चन्द्र जायसवाल	राजस्व निरीक्षक
122	श्री के. पी. हलवाई	राजस्व निरीक्षक
123	श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

124	श्री संदीप कुमार बघेल	स.अ.भू-अभिलेख
125	श्री सोने सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
126	श्री राज कुमार टाण्डिया	राजस्व निरीक्षक
127	श्री सनत कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
128	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक
129	श्री राजेन्द्र दास पनिका	राजस्व निरीक्षक
130	श्री मोहनलाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक
131	श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
132	श्री वेद प्रकाश सिंह	राजस्व निरीक्षक
133	श्री माधव प्रसाद मोंगरे	राजस्व निरीक्षक
134	श्री रामसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
135	श्री राजेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
136	श्री सिलवेरियुस खलखो	राजस्व निरीक्षक
137	श्री मानसिंह आर्मी	राजस्व निरीक्षक
138	श्री शिव शंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक
139	श्री रमाकान्त तिवारी	राजस्व निरीक्षक
140	श्री कौशलेन्द्र शंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक
141	श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
142	श्री विशाल रत्नम	राजस्व निरीक्षक
143	श्री कोमल सिंह	राजस्व निरीक्षक
144	श्री सुन्सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. 2698-450-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-तृतीय महिला एवं बाल कल्याण विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**होशंगाबाद संभाग**

1	श्री राधेश्याम वर्मा	परियोजना अधिकारी
---	----------------------	------------------

जबलपुर संभाग

2	श्री सुश्री राजश्री मेश्राम	परियोजना अधिकारी
3	श्रीमती नीतू तिलगाम	परियोजना अधिकारी
4	श्री पुष्पेन्द्र रानाड़े	परियोजना अधिकारी
5	श्री श्यामसिंह ठाकुर	परियोजना अधिकारी

रीवा संभाग

6	श्री विनोद परस्ते	परियोजना अधिकारी
7	श्री पुनीत शर्मा	परियोजना अधिकारी

क्र. 2700-476-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------------	---------------------------	--------------

भोपाल संभाग

1	श्री गजराज सिंह अहिरवार	वन क्षेत्रपाल
2	श्री संतोष कुमार संत	वन क्षेत्रपाल

शहडोल संभाग

3	श्री सूर्यकान्त मिश्रा	वन क्षेत्रपाल
4	श्री प्रदीप	वन क्षेत्रपाल

उज्जैन संभाग

5	श्रीमती कविता मार्को	वन क्षेत्रपाल
---	----------------------	---------------

होशंगाबाद संभाग

6	श्रीमती प्रगति वर्मा	वन क्षेत्रपाल
7	श्री राम नरेश साकेत	वन क्षेत्रपाल
8	श्रीमती सरिता ठाकुर	वन क्षेत्रपाल
9	श्री संतोष चौहान	वन क्षेत्रपाल

सागर संभाग

10	श्री भूपेन्द्र सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
----	-----------------------	---------------

इंदौर संभाग

11	कु. तारिका मौर्य	वन क्षेत्रपाल
12	श्री जीतेन्द्र तोमर	वन क्षेत्रपाल

क्र. 2709-457-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------------	---------------------------	--------------

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री विक्रम सिंह राठौर	वाणिज्यिक कर अधिकारी
---	------------------------	----------------------

(1)	(2)	(3)
2	श्री अतुल कुमार त्रिपाठी	वाणिज्यिक कर अधिकारी
3	डॉ. ऋचा नौगरिईया	वाणिज्यिक कर अधिकारी
4	श्रीमती रिंकी बामनिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी
5	श्री हरिश जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी
6	श्री रजनीश पटेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी
7	श्री उमेश कुमार त्रिपाठी	वाणिज्यिक कर अधिकारी
8	श्री धर्मेन्द्र सोनकर	वाणिज्यिक कर अधिकारी
9	श्री धीरज कुमार वानखेड़े	वाणिज्यिक कर अधिकारी
10	श्री तरूण भार्गव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्री कैलाश कुमार ठाकरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	श्री अनिल कुमार नामदेव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	श्रीमती शिवानी महलवाला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
14	श्रीमती रिंतु ठाकुर	कराधान सहायक
15	श्री राजेश मालवीय	कराधान सहायक
16	श्री संजय कुमार केशरवानी	कराधान सहायक
17	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	कराधान सहायक
18	श्री अबुल हसन	कराधान सहायक
19	श्री गौरव शर्मा	कराधान सहायक

जबलपुर संभाग

20	श्री मनीष महारणवर	वाणिज्यिक कर अधिकारी
21	डॉ. संजय सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी
22	श्री जयसिंह सिकरवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
23	श्री सचिव कुमार उद्दे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
24	कु. प्रतिभा नर्वेती	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
25	सुश्री रश्मि रेखा सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
26	श्री प्रसून कुमार मिश्र	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
27	श्री शशिभूषण तिवारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
28	श्री कमलेश चॉवले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
29	विवेक श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
30	श्री ज्ञानचन्द्र गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
31	श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
32	श्री बृज किशोर सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
33	श्री कुंवर विश्वनाथ सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
34	सुश्री श्वेता नेमा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
35	श्री बेनीप्रसाद पटेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
36	श्री आकाश उईके	कराधान सहायक
37	श्री पीयूष मालवीय	कराधान सहायक
38	श्री शिव शंकर लोधी	कराधान सहायक
39	श्री दीपक कुमार कमलेश	कराधान सहायक
40	श्री दिनेश सिंह	कराधान सहायक
41	कु. संध्या यादव	कराधान सहायक
42	श्री सुरेन्द्र कुमार कौरव	कराधान सहायक
43	कु. नीतू गुप्ता	कराधान सहायक

(1)	(2)	(3)
इन्दौर संभाग		
44	कु. निर्मला अरोड़ा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
45	श्री बलवान सिंह सोलंकी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
46	श्री प्रेम राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
47	श्री सचिन कुमार मिलवाने	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
48	श्री आनंद यादव	कराधान सहायक
49	श्री संदीप कुमार कुशवाह	कराधान सहायक

निम्नस्तर**भोपाल संभाग**

1	श्री राजीव परिहार	वाणिज्यिक कर अधिकारी
2	श्री मनोज एस. लालवानी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	श्रीमती रिटा शर्मा	कराधान सहायक
4	कु. रेखा बड़ोदे	कराधान सहायक
5	श्री रीतेश पटेल	कराधान सहायक
6	श्री जुगल किशोर	कराधान सहायक

ग्वालियर संभाग

7	श्री पवन कुमार दोहरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
---	----------------------	-----------------------

जबलपुर संभाग

8	श्री करुणा निधि शुक्ला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
9	सुश्री योगिता कार्तिक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
10	श्रीमती रीना खम्मनिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्री सुदीप चतुर्वेदी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	श्री संदीप चडार	कराधान सहायक

इंदौर संभाग

13	श्री मनीष कुमार व्यास	वाणिज्यिक कर अधिकारी
14	श्री उत्तम कुमार गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
15	श्री अनूप सिंह भदौरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
16	श्री महेन्द्र सिंह वैश	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
17	श्री गिर्राज सिंह तोमर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
18	श्री आशुतोष उपाध्याय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
19	श्री नरेन्द्र कुमार गोस्वामी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
20	श्री सचिव कुमार श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
21	श्री दिलीप लखेरा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
22	कु. नीलम चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
23	श्री दिलीप विजयवर्गीय	कराधान सहायक
24	श्री बृज किशोर सिंह	कराधान सहायक
25	श्री लव कुमार ठाकुर	कराधान सहायक
26	श्री सुरेश डामोर	कराधान सहायक
27	श्री प्रवीण गंगारेकर	कराधान सहायक
28	श्री विजय कुमार तिवारी	कराधान सहायक

क्र. 2711-469-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-कार्यालय संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**भोपाल संभाग**

1	श्री विक्रम सिंह राठौर	वाणिज्यिक कर अधिकारी
2	श्री अतुल कुमार त्रिपाठी	वाणिज्यिक कर अधिकारी
3	श्री हरीश जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी
4	श्री रजनीश पटेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी
5	श्री उमेश कुमार त्रिपाठी	वाणिज्यिक कर अधिकारी
6	श्री धर्मेन्द्र सोनकर	वाणिज्यिक कर अधिकारी
7	श्री धीरज कुमार वानखेड़े	वाणिज्यिक कर अधिकारी
8	श्री तरूण भार्गव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
9	श्री कैलाश कुमार ठाकरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
10	श्रीमती शिवानी महलवाला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

सागर संभाग

11	श्री मोहित कुमार जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	श्री सत्यम चौबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

इंदौर संभाग

13	श्री मनीष कुमार व्यास	वाणिज्यिक कर अधिकारी
14	कु. निर्मला अरोड़ा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
15	श्री महेन्द्र सिंह वैश	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
16	श्री गिर्राज सिंह तोमर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
17	श्री नरेन्द्र कुमार गोस्वामी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
18	श्री दिलीप लखेरा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
19	श्री बलवान सिंह सोलंकी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
20	श्री प्रेम राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
21	श्री सचिव कुमार भिलवाने	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
22	श्री उत्तम कुमार गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
23	श्री अनूप सिंह भदौरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
24	श्री राशिद अली खान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
25	श्री ललित कुमार सोमानी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
26	श्री संदीप अग्रवाल	कराधान सहायक
27	श्री ब्रज किशोर सिंह	कराधान सहायक
28	श्री शैलेन्द्र असाठी	कराधान सहायक
29	श्री लव कुमार ठाकुर	कराधान सहायक
30	श्री सुरेश डभोर	कराधान सहायक

(1)	(2)	(3)	भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2013					
ग्वालियर संभाग			क्र. 2732-447-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-द्वितीय लेखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—					
31	श्री प्रशान्त अरजरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक				अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
32	श्री गजेन्द्र सिकरवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक				(1)	(2)	(3)
33	श्री शिवदत्त कटारे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक						
34	श्री प्रदीप सिंह भदौरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक						
35	श्री राज शर्मा	कराधान सहायक						
36	श्री रवि शाक्य	वाणिज्यिक कर निरीक्षक						
जबलपुर संभाग			उच्चस्तर					
37	डॉ. संजय सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	जबलपुर संभाग					
38	श्रीमती रीना खम्मरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	1	सुश्री राजश्री मेश्राम	परियोजना अधिकारी			
39	सुश्री श्वेता नेमा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	2	श्रीमती नीतू तिलगाम	परियोजना अधिकारी			
40	श्री कुंवर विश्वनाथ सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	3	श्री पुष्पेन्द्र रानाडे	परियोजना अधिकारी			
41	श्री बृज किशोर सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	4	श्री श्यामसिंह ठाकुर	परियोजना अधिकारी			
42	श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम	वाणिज्यिक कर निरीक्षक						
43	श्री ज्ञान चन्द गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर					
44	श्री शशिभूषण तिवारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	जबलपुर संभाग					
45	श्री कमलेश चावले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	5	कु. रीना अध्वर्यु	परियोजना अधिकारी			
46	श्रीमती योगिता कार्तिक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर					
47	श्री विवेक श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर					
48	श्री बेनी प्रसाद पटेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	जबलपुर संभाग					
49	श्री प्रसून कुमार मिश्र	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	1	श्रीमती प्रीति कटारा	परियोजना अधिकारी			
50	कु. प्रतिभा नर्वेती	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	रीवा संभाग					
51	श्री करुणा निधि शुक्ला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	2	श्री विनोद परस्ते	परियोजना अधिकारी			
52	श्री जयसिंह सिकरवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	3	श्री पुनीत शर्मा	परियोजना अधिकारी			
53	श्री सचिन कुमार उद्दे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर					
54	श्री आकाश उईके	कराधान सहायक	होशंगाबाद संभाग					
55	श्री सुदीप चतुर्वेदी	कराधान सहायक	क्र. 2734-452-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-प्रथम (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—					
56	कु. नीतू गुप्ता	कराधान सहायक				अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
निम्नस्तर						(1)	(2)	(3)
भोपाल संभाग						उच्चस्तर		
1	श्री राजीव पाटीदार	वाणिज्यिक कर अधिकारी				होशंगाबाद संभाग		
2	श्री अनिल कुमार नामदेव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक				1	डॉ. कान्ता देशमुख	परियोजना अधिकारी
3	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	कराधान सहायक				2	श्री राधेश्याम वर्मा	परियोजना अधिकारी
इंदौर संभाग			उच्चस्तर					
4	सुश्री अनिता दुबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	होशंगाबाद संभाग					
5	श्री सुजान वास्कले	कराधान सहायक	3	कु. रीना अध्वर्यु	परियोजना अधिकारी			
6	श्री रतनसिंह सुनार	कराधान सहायक	4	श्रीमती प्रीति कटारा	परियोजना अधिकारी			
7	श्री दिलीप विजयवर्गीय	कराधान सहायक	उच्चस्तर					
8	श्री संदीप कुमार कुशवाहा	कराधान सहायक	जबलपुर संभाग					
9	श्री आनंद यादव	कराधान सहायक	5	सुश्री राजश्री मेश्राम	परियोजना अधिकारी			
ग्वालियर संभाग			उच्चस्तर					
10	श्री राज शर्मा	कराधान सहायक	जबलपुर संभाग					

6	श्रीमती नीतू तिलगाम	परियोजना अधिकारी
7	श्री पुष्पेन्द्र रानाडे	परियोजना अधिकारी
8	श्री श्यामसिंह ठाकुर	परियोजना अधिकारी

**निम्नस्तर
रीवा संभाग**

1	श्री विनोद परस्ते	परियोजना अधिकारी
2	श्री पुनीत शर्मा	परियोजना अधिकारी

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्र. 2752-455-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------------	---------------------------	--------------

**निम्नस्तर
इंदौर संभाग**

1	सुश्री माया गढवाल	शिक्षक, दृष्टिबध्दर्थ
2	श्रीमती मृदुला चौहान	विशेष शिक्षिका (श्रवण बाधितार्थ)
3	श्री धर्मेन्द्र गांगले	अधीक्षक
4	श्री सत्यनारायण सिंह यादव	शिक्षक, दृष्टिबध्दर्थ
5	सुश्री भारती अवास्या	अधीक्षक

रीवा संभाग

6	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता	अधीक्षक
7	श्री हमीद खान	हाउस मास्टर
8	श्री अजय कुमार भुजिया	मेट्रन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

**कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला सतना,
मध्यप्रदेश**

सतना, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्र. 208-8-एस.डब्ल्यू-2013 (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत पारित) संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में विभिन्न कार्यालय एवं न्यायालय स्थित है. इस परिसर के आस-पास एवं आम सड़क पर नारेबाजी, ध्वनि प्रदूषण, शोर-शराबे एवं उग्र प्रदर्शनों के कारण न्यायालयीन एवं कार्यालयीन कार्यों के सामान्य संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है. मुझे यह समाधान हो गया है

कि संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के भीतर और उसके बाहरी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना अपरिहार्य हो गया है.

अतः मैं मोहन लाल जिला मजिस्ट्रेट सतना दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार निषेधाज्ञा जारी करता हूँ:—

- कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आस-पास आग्नेय शस्त्र जैसे बंदूक, तमंचा, विस्फोटक सामग्री एवं धारदार हथियार आदि प्रतिबंधित रहेगा.
- कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र, कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघ/संगठन कलेक्ट्रेट परिसर की सीमा के अंदर जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हड़ताल, आमरण अनशन नहीं करेगा.
- कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आमसभा आदि के लिये पुराना बोर्डिंग चौराहा धवारी एवं धवारी स्टेडियम के पूर्वी गेट के पास स्थल नियत किया जाता है. उक्त स्थल हेतु नगर दण्डाधिकारी को पूर्व सूचना एवं लिखित अनुमति लेनी होगी.
- 10 या अधिक व्यक्तियों के समूह/दल द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर आकर ज्ञापन देने/अपनी समस्या रखने की अनुमति होगी परन्तु इसकी पूर्व सूचना अपर जिला दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी, सतना को देनी होगी.
- कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर किसी भी तरह के कोलाहल/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है, किन्तु इस प्रतिबंध में शासकीय बैठक/आयोजन मुक्त रहेंगे.
- इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 201/8/एस. डब्ल्यू दिनांक 8-4-2013 उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है.

चूंकि यह आदेश तत्काल पारित कर उद्घोषित किया जाना आवश्यक है एवं प्रत्येक व्यक्ति को उक्त आदेश की व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं है. अतः एक पक्षीय पारित किया जाता है. चूंकि संबंधित पक्षों पर आदेश की तामीली साध्य नहीं है. अतः स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से तथा मुनादी कराकर अधिसूचित किया जाय.

यह आदेश जारी दिनांक से 60 (साठ) दिवस तक प्रभावशील रहेगा. आज दिनांक 12-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

मोहनलाल, जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्र.174-मण्डी-2013.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के उपबन्धों के अधीन सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित विधायकों द्वारा स्तम्भ 3 में उल्लेखित नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को स्तम्भ 4 में उल्लेखित मण्डी के लिये विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	विधायक का नाम एवं पता	विधायक द्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	मण्डी समिति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल विधायक विधान सभा क्षेत्र 66 रीवा.	श्री अनिल कुमार बुधवानी, रानी तालाब सिन्धी कालोनी रीवा.	222-रीवा
2.	श्री नागेन्द्र सिंह विधायक, 75 गुढ.	श्री रामलखन यादव ग्राम पटपरा पो. सगरा, वाया रघुनाथगंज जिला रीवा.	222-रीवा

एस. एन. रूपला, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. 99-251-5अ-एस.सी.-2-13.—एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति नागौद, जिला सतना के निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न होने के फलस्वरूप निम्नानुसार सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र.	नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	प्राप्त प्रस्ताव	पद जिसके लिये नाम निर्दिष्ट किये गये
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री रामेन्द्र सिंह राजा, निवासी ग्राम कचलोहा, तहसील नागौद, जिला सतना.	माननीय विधायक वि.स.क्षे. नागौद जिला सतना	प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति, नागौद.

मोहनलाल, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिंगरौली, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. 1570-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	देवसर	चकुआर	0.03	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली म. प्र.	महान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1572-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	देवसर	देवरा	0.37	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली. म. प्र.	महान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1574-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा उक्त 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	देवसर	सहुआर	1.937	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली म. प्र.	महान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1576-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	देवसर	गोंडगवां	0.260	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली	सेमरा नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

म. प्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1578-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	देवसर	इटार	0.19	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली,	सेमरा नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

म. प्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों

को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	तिदौनी परसोरिया	0.30 0.12	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. सागर.	बी.ओ.टी. (टोल+एन्जूटी) योजनांतर्गत दमोह-पथरिया- गढाकोटा मार्ग के निर्माण किये जाने बाबत.
योग . .				0.42	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 15 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13-गूजरखेड़ी का पुरा-225.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर	हेक्टर रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	कुंभराज	गूजरखेड़ी का पुरा	135 में से	0.418	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राधौगढ़, जिला गुना.	भोजपुरा तालाब योजनांतर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
योग . .					0.418	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग-राधौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिकारी चाँचौडा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाँचौडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2012-13-मदागनमाफी-226.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
गुना	कुंभराज	मदागनमाफी	392/10 में से	0.418	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़, जिला गुना.	भोजपुरा तालाब योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
योग . .				0.418		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग-राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिकारी चॉचौडा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चॉचौडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2012-13-वापचावीरान-227.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
गुना	कुंभराज	वापचावीरान	6/1/1 6/4	0.418 0.209	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़, जिला गुना.	भोजपुरा तालाब योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
योग . .				0.627		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग-राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिकारी चॉचौडा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चॉचौडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2012-13-तलावडा नज. सानई-228.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	कुंभराज	तालावडा नजदीक सानई	93 मिन-1 1.881 98 0.491	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़, जिला गुना.	भोजपुरा तालाब योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
			योग . . . 2.372		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग-राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिकारी चॉचौडा के न्यायालय में देखा जा सकता है।
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चॉचौडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13-सानई-229.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	कुंभराज	सानई	326 1.636 327 1.170	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़, जिला गुना.	भोजपुरा तालाब योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
			योग . . . 2.806		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग-राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिकारी चॉचौडा के न्यायालय में देखा जा सकता है।
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चॉचौडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

गुना, दिनांक 16 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13-बरखेडा सफा-234.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों

के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	गुना	बरखेडा सफा	किता-05 1.858	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला गुना.	सफा बरखेडा लघु सिंचाई परियोजना हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग-गुना एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिकारी गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13-अमरोद-236.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	बमोरी	अमरोद	किता-05 2.213	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला गुना.	मसूरिया डायवर्सन फीडर परियोजना हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग-गुना एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिकारी गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. 953-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4, की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	ग्राम उमरी	3.760	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्योटी मुख्य नहर में आने वाली दुलहरा माइनर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं. 2 एवं नं. 3 की भूमियों के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 955-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4, की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बलहरा	2.200	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं.-5 की भूमियों के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 957-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4, की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	दुलहरा	8.35	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं.-5 की भूमियों के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र. क्र. 959-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4, की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	बुदामा	2.250	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र. क्र. 961-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4, की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	डीह	6.225	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

रीवा, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. 979-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4, की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पैपखरा	0.198	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्यौंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 981-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	सिरमौर	मनवाही	452	0.236	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्यौंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. 14 अ-82-2011-12-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल खसरा क्र. हैक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	बैरसिया	बिरहा श्याम खेड़ी	2/4/2	0.364	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	बिरहई जलाशय के जल भराव क्षेत्र हेतु भूमि अर्जन.
			2/4/1	0.323		
			2/1/3/4	0.162		
			2/1/3/2	1.154		
			2/1/3/1	0.911		
			2/1/2/2	1.781		
			2/1/2/1	0.291		
			2/1/1/1क	1.000		
			2/1/1/2क	1.640		
			2/1/2/4	0.688		
			3/2/2/1	0.405		
			3/2/2/2	0.385		
			3/2/2/3	0.142		
			3/1/1/5क	0.364		
3/1/1/2क	0.202					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3/1/1/4	0.324	
			3/1/1/1/क	0.262	
			3/1/1/7/क	0.243	
			3/2/1/क1	0.186	
			3/2/1/क2	0.089	
			3/2/1/ध	0.182	
			3/2/1/ड	0.162	
			3/2/1/च/1	0.465	
			13/1/1	0.323	
			13/4/1/1	0.069	
			13/4/1/2	0.166	
			13/4/1/3	0.158	
			13/4/2/1	0.283	
			348/12/1/1/1ख	0.222	
			56/3	0.173	
			81/3/1	0.101	
			62/3/3	0.161	
			62/4	0.748	
			63	0.898	
			57/1	0.737	
			60/2/2/क	0.081	
			60/1/3क	0.582	
			60/1/2क	0.761	
			62/2/1	0.769	
			62/3/1	0.466	
			81/3/2/क	0.505	
			66/1/क	0.712	
			66/2	1.011	
			66/3	0.510	
			67	0.061	
			62/1/1	2.271	
			62/3/2	0.405	
			79/1/2/1ख/1/1ख	0.040	
			79/1/7/क/1	0.688	
			81/2/1	0.752	
			81/4/1	1.174	
			81/1/ख/2	1.214	
			242-243-245/2/1	0.502	
			244/1	0.093	
			244/2/2	0.405	
			258/7	0.061	
			258/2	0.040	
			260/2/1	0.101	
			260/2/2क	0.141	
			260/2/3	0.202	
			योग . .	29.311	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया	(2) महुआखेडा	332	0.12	
			336/1/1	0.22	
			352	0.12	
			355	0.28	
			356/1	0.06	
			356/2	0.10	
			365/1	0.06	
			366/1	0.04	
			367/1	0.08	
			368/1	0.08	
			369/1	0.14	
			370/1	0.10	
			योग . .	1.40	
भोपाल	बैरसिया	(3) खेजडा गोंपी	96	0.040	
			100/3	0.324	
			100/4/2	0.405	
			100/2/1	0.060	
			100/2/2	0.202	
			योग . .	1.031	
भोपाल	बैरसिया	(4) ऊची ललोई	410/2/2/ग	0.405	
			410/2/2/च	0.466	
			410/2/2/1छ	0.283	
			योग . .	1.154	
भोपाल	बैरसिया	(5) चपडियां	49/1/1/1/1/1	0.202	
			16/1/2ध	0.182	
			योग . .	0.384	
भोपाल	बैरसिया	(6) रेहटई	23/2	0.162	
			योग . .	0.162	
			कुल महायोग . .	33.442	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 16 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 040-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) पन्ना	(2) अजयगढ़	(3) बिलाही	(4) निजी भूमि खसरा क्रमांक 157 का निजी एक पक्का कुआं.	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	(6) गुमानगंज तालाब योजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले कुएं का अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 049-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) पन्ना	(2) अमानगंज	(3) द्वारी	(4) निजी भूमि 0.25 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 कुल रकबा 0.25	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	(6) द्वारी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 057-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) पन्ना	(2) अमानगंज	(3) विक्रमपुर	(4) निजी भूमि 19.74 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 कुल रकबा 19.74	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	(6) द्वारी तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 058-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	झिरिया	निजी भूमि 3.875 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.350 कुल रकबा 4.225	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 059-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	महेबा	निजी भूमि 140.154 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 4.728 हे. कुल रकबा 144.882	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 060-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	रजपुरा	निजी भूमि 12.500 एवं शासकीय भूमि रकबा 29.612 कुल रकबा 42.112	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	महुआडाडा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 061-अ-82-वर्ष 2012-13.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	कचनारा	निजी भूमि 40.475 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.413 कुल रकबा 41.888	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	नचनौरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 062-अ-82-वर्ष 2012-13.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	नचनौरा	निजी भूमि 62.663 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.675 कुल रकबा 64.338	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	नचनौरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 063-अ-82-वर्ष 2012-13.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	मोहाई	निजी भूमि 12.629 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 12.629	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	टिरीं गुरने तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 064-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	बराछ	निजी भूमि 31.288 एवं शासकीय भूमि रकबा 12.888 कुल रकबा 44.176	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बरबीरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 065-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	इटवांकला	निजी भूमि 37.665 एवं शासकीय भूमि रकबा 4.486 कुल रकबा 42.151	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बरबीरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 066-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	बराछ	निजी भूमि 70.644 एवं शासकीय भूमि रकबा 14.625 कुल रकबा 85.269	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 067-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	इटवांखास	निजी भूमि 16.283 एवं शासकीय भूमि रकबा 61.380 कुल रकबा 77.663	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	इटवांखास तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 068-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	धनगढ़	निजी भूमि 39.325 एवं शासकीय भूमि रकबा 11.563 कुल रकबा 50.888	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 069-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	कोहनी	निजी भूमि 2.594 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.069 कुल रकबा 2.663	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	डोभा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 070-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	मुरकुछू	निजी भूमि 25.79 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.76 कुल रकबा 26.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मुरकुछू तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 071-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रमगढ़ा	निजी भूमि 45.99 एवं शासकीय भूमि रकबा 74.07 कुल रकबा 120.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 072-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रोहनिया	निजी भूमि 67.54 एवं शासकीय भूमि रकबा 46.34 कुल रकबा 113.88	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 073-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	उमरिया ग्यावर (देईधर)	निजी भूमि 13.38 एवं शासकीय भूमि रकबा 18.25 कुल रकबा 31.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 074-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	शाहपुरकलां	निजी भूमि 163.79 एवं शासकीय भूमि रकबा 46.58 कुल रकबा 210.37	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 075-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	बरबसपुरा	निजी भूमि 4.019 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.088 कुल रकबा 4.107	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	डोभा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 076-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	(3)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	खभरा	निजी भूमि एवं शासकीय	26.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मुरकुछू तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
			भूमि रकबा	3.56		
			कुल रकबा	30.51		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 077-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	(3)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	सगरा	निजी भूमि एवं शासकीय	6.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मुरकुछू तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
			भूमि रकबा	0.00		
			कुल रकबा	6.03		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 078-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	(3)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	कंधेली	निजी भूमि एवं शासकीय	3.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
			भूमि रकबा	2.26		
			कुल रकबा	5.51		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 080-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
पन्ना	रैपुरा	हरदुआ सारसबाहु	निजी भूमि 0.963 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.850 कुल रकबा 1.813	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	हरदुआ सारसबाहु तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 081-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
पन्ना	अमानगंज	बांधीकला	निजी भूमि 14.423 एवं शासकीय भूमि रकबा 3.513 कुल रकबा 17.936	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	डोभा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 082-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
पन्ना	गुनौर	धनोखर	निजी भूमि 28.500 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 कुल रकबा 28.575	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 083-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	इटवांकला	निजी भूमि 19.869 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.375 कुल रकबा 20.244	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	डोभा तालाब योजना अंतर्गत बेस्ट वियर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 084-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	सुपन्था	निजी भूमि 37.363 एवं शासकीय भूमि रकबा 5.075 कुल रकबा 42.438	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 16 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	सिरोंज	अमीरगढ़	80.825	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा.	गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
			योग . . . 80.825		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) विदिशा	(2) सिरोंज	(3) पैकोली	(4) 7.935	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा.	गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
योग . .				7.935	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) विदिशा	(2) सिरोंज	(3) नाऊखेड़ा	(4) 16.355	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा.	गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
योग . .				16.355	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) विदिशा	(2) सिरोंज	(3) अमीरगढ़	(4) 3.270	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा.	गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर कार्य हेतु.
योग . .				3.270	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 5-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	सिरोंज	गरेठा	5.619	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा.	गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर कार्य हेतु.
योग . . .			5.619		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	सिरोंज	पारधा	1.498	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा.	गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर कार्य हेतु.
योग . . .			1.498		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	सिरोंज	त्रिभुवनपुर	0.775	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा.	गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर कार्य हेतु.
योग . . .			0.775		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	सिरोंज	दीपनाखेड़ा	1.239	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा.	गरेड़ा लघु सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर कार्य हेतु.
योग . .			1.239		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. 2681-A-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	कंडीपार प.ह.नं. 45/56 रा.नि.म. सिवनी भाग-2.	0.28	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सिवनी.	नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, केवलरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. भू-अर्जन-2012-13-593.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरबर	झण्डा	449	0.12	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म. प्र.).	सिंध परियोजना की दांया तट नहर की उपशाखा नहर, डी-5 से निकलने वाली झण्डा न्यू माइनर के निर्माण हेतु.
			495	0.12		
			496	0.23		
			962	0.06		
			963	0.10		
			964	0.01		
			965	0.07		
			979	0.02		
			980	0.02		
			966	0.13		
			981	0.03		
			982	0.03		
			983	0.03		
			984	0.03		
			993	0.16		
			995	0.14		
			996	0.10		
			998/1	0.04		
			998/2	0.08		
			999	0.07		
			1709	0.03		
			225	0.08		
			350	0.05		
			कुल योग . .	1.75		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. भू-अर्जन-2012-13-598.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		खसरा नं.	क्षेत्रफल	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम			द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	रोनीजा	102	0.02	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म. प्र.).	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत डी-5 वितरिका की 4 एल-ए एवं 5 आर.-ए के निर्माण हेतु.
			103	0.06		
			105	0.05		
			106	0.02		
			107	0.02		
			108	0.01		
			109	0.04		
			160	0.03		
			161	0.01		
			198	0.04		
			199	0.03		
			200	0.01		
			201	0.02		
			239	0.03		
			240	0.02		
			243	0.02		
			277	0.02		
			278	0.03		
			279	0.02		
			280	0.01		
			281	0.02		
			344	0.17		
			347	0.04		
			348	0.03		
			349	0.07		
			368	0.03		
			370	0.03		
			371	0.07		
			372	0.01		
			413	0.03		
			414	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	रोनीजा	415	0.02		
			416	0.03		
			537	0.03		
			539	0.05		
			540	0.01		
			541	0.01		
			542	0.01		
			543	0.01		
			544	0.03		
			608	0.06		
			613	0.05		
			614	0.02		
			624	0.14		
			626	0.02		
			634	0.03		
			635	0.02		
			636	0.07		
			637	0.02		
			638	0.07		
			641	0.20		
			642	0.14		
			643	0.05		
			644	0.02		
			1257	0.06		
			1258	0.05		
			1259	0.04		
			1260	0.02		
			1264	0.01		
			1265	0.10		
			1270	0.01		
			1271	0.05		
			1272	0.04		
			1273	0.06		
			1289	0.11		
			1306	0.02		
			1307	0.07		
			1308	0.08		
			1310	0.07		
			1311	0.07		
			1317	0.01		
			1323	0.08		
			1324	0.09		
			1325	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	रोनीजा	1362	0.14		
			1418	0.02		
			1419	0.11		
			1422	0.08		
			1424	0.15		
			1425	0.12		
			1783	0.16		
			1805	0.01		
			1807	0.01		
			1811	0.06		
			1812	0.15		
			1813	0.11		
			1819	0.09		
			1820	0.08		
			1821	0.01		
			1822	0.05		
			1831	0.06		
			1827	0.12		
			1836	0.10		
			1846	0.10		
			1847	0.13		
			1848	0.01		
			1873	0.14		
			1875	0.02		
			1876	0.12		
			1877	0.18		
			1881	0.09		
			1908	0.12		
			1910	0.12		
			1911	0.08		
			1921	0.14		
			1924	0.06		
			1925	0.09		
			1970	0.12		
			1971	0.10		
			1974	0.01		
			1989	0.01		
			1994	0.32		
			2000	0.18		
			2005	0.02		
			2448	0.11		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	रोनीजा	2449	0.07		
			2452	0.07		
			2453	0.11		
			2454	0.02		
			2455	0.10		
			2456	0.04		
			2457	0.02		
			2514	0.18		
			2519	0.05		
			2517	0.03		
			2518	0.03		
			2520	0.01		
			2539	0.01		
			2540	0.08		
			2541	0.14		
			2604	0.08		
			2607	0.02		
			2644	0.06		
			2645	0.03		
			2646	0.01		
			2649	0.13		
			2650	0.07		
			2651	0.06		
			2653	0.01		
			2672	0.02		
			2673	0.03		
			2674	0.05		
			2675	0.05		
			2676	0.04		
			2678	0.10		
			2688	0.10		
			2689	0.10		
			2690	0.14		
			2699	0.03		
			2702	0.15		
		कुल योग	150	9.43		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

शिवपुरी, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्र. भू-अर्जन-2012-13-614.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	दावरअली	49	0.15	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना, दांयी तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म. प्र.).	सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दांयी तट नहर (लालपुर विकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु.
			430/2	0.35		
कुलयोग				0.50		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 25 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	खुशालपुर नशरतगढ़ बरोदा	11.219 10.279 2.626	भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद.	संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना.
योग . .			24.124		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिला अध्यक्ष विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी नटेरन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्र. 780-वाचक- प्र.क्र. 89-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	मोरानी	31.600	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत आने वाली सिनगुन वितरण शाखा नहर व मोरानी माईनर एवं भागसुर माईनर 2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 781-वाचक- प्र.क्र. 90-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	बुदरा	3.510	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत आने वाली वितरण शाखा नहर सिनगुन एवं उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्र. 822-वाचक- प्र.क्र. 92-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	सिनगुन	11.600	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत आने वाली वितरण शाखा नहर सिनगुन एवं उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 823-वाचक- प्र.क्र. 93-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	भामी	23.010	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी एवं भामी माईनर नहर 1 व भामी माईनर नहर 2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. 949-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	सिरमौर	गभुआनी	125	0.050	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्यौंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 16 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 1-अ 82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कालम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	लटेरी	जालपुर	2.322	भू-अर्जन अधिकारी, लटेरी	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
			योग : 2.322		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है-सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2013

प्र.क्र. 1-अ 82-वर्ष 2012-13-गाडरवारा-पत्र क्र. 23-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	पुरगवां	0.223 एवं 2000 वर्गफुट	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 2-अ 82-वर्ष 2012-13-गाडरवारा-पत्र क्र. 23-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	सिहोरा	0.195 एवं 5960 वर्गफुट	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013

प्र.क्र. 8-अ 82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-क्र. 280.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बंधी, प.ह.नं. 1/8 नं. बं. 361	15.209	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	बंधी पिठेहरा जलाशय एवं उप नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्र. 4481-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1)-से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
राजगढ़	सारंगपुर	गुलावता शेरपुरा	9.496 2.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	गुलावता तालाब के निर्माण हेतु शेष रही भूमि का अर्जन.
कुल :			11.496		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—1. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-587.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	पिछोर	टोडा पिछोर	20	0.15	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी म.प्र.	महुअर मध्यम परियोजना की दार्यों तट नहर की उपशाखा क्र. 4 एवं 5 के निर्माण कार्य हेतु.
			26	0.05		
			27/1	0.13		
			27/2	0.22		
			54/मिन. 1	0.40		
			58	0.45		
			59/मिन 1	0.15		
			60	0.02		
			239	0.05		
			240	0.12		
			296	0.10		
			309	0.14		
			316/मिन. 1	0.04		
			316/मिन. 4	0.19		
			316/मिन. 5	0.32		
			318	0.01		
			320	0.12		
			336	0.02		
			352	0.42		
			353/1/1 मिन	0.13		
			355/मिन. 1	0.10		
			358	0.40		
			360/1	0.06		
			360/2	0.07		
			362	0.52		
			363	0.27		
			365/3/2	0.09		
			365/3/3	0.21		
			365/3/5 मिन.1	0.12		
			370	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			580	0.05		
			582/3	0.07		
			588	0.07		
			594/मिन. 1	0.17		
			594/मिन. 2	0.08		
			599	0.02		
			600	0.15		
			601	0.05		
			893/मिन. 4	0.02		
			योग . .	<u>5.82</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये—महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-588.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	सिरसौना	2082	0.08	कार्यपालन यंत्री, जल	महुअर मध्यम परियोजना की
			2084	0.17	संसाधन संभाग शिवपुरी,	दायीं तट नहर की टेल माइनर
			2085	0.05	जिला शिवपुरी म.प्र.	के निर्माण कार्य हेतु.
			2106	0.11		
			2108	0.06		
			2110/मिन 1	0.01		
			2111	0.15		
			2116	0.22		
			2118	0.01		
			2120	0.10		
			2124	0.17		
			2125/मिन 1	0.07		
			23125/मिन 2	0.06		
			योग . .	<u>1.26</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-589.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	सलैया	959	0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी म.प्र.	महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर की उपशाखा क्रमांक 5 एल, 6आर, 7आर, 8एल, 9आर, 10आर के निर्माण हेतु.
			1077	0.08		
			1080/5	0.19		
			1084	0.05		
			1085	0.10		
			1086	0.10		
			1087	0.13		
			1106	0.11		
			1111	0.15		
			1156	0.12		
			1157	0.08		
			1159	0.06		
			1161	0.06		
			1162	0.01		
			1164	0.11		
			1206	0.05		
			1207	0.08		
			1208	0.01		
			1217	0.08		
			1218	0.04		
			1219	0.07		
			1221	0.01		
			1222	0.03		
			1224	0.03		
			1228	0.01		
			1236/1	0.40		
			1237	0.21		
			1238	0.03		
			1250	0.01		
			1283	0.01		
			1290	0.18		
			1291	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1292	0.12		
			1294	0.04		
			1296	0.09		
			1297	0.15		
			1298	0.01		
			1306	0.14		
			1308	0.02		
			1309	0.14		
			1310	0.11		
			1344	0.23		
			1345/1	0.07		
			1349	0.26		
			1354	0.06		
			1355	0.10		
			1356	0.13		
			1360	0.11		
			1372	0.04		
			1374	0.03		
			1375/2	0.04		
			1376/1	0.03		
			1376/2	0.08		
			1378/1	0.10		
			1387	0.08		
			1389	0.39		
			1394	0.11		
			1395/मिन 1	0.10		
			1395/मिन 2	0.02		
			1401	0.21		
			1402	0.06		
			1403	0.05		
			1404	0.01		
			1406	0.06		
			1409	0.14		
			1410	0.03		
			1411	0.04		
			1412	0.05		
			1413	0.01		
			1460	0.09		
			1477/1	0.02		
			1477/2	0.35		
			1566	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1567	0.01		
			1609	0.09		
			1610	0.16		
			1611	0.01		
			1612	0.13		
			1616	0.11		
			1633	0.05		
			1711/2	0.12		
			1741	0.01		
			1742	0.30		
			1746	0.07		
			1778	0.01		
			1796	0.08		
			1797	0.16		
			1798	0.01		
			1800	0.01		
			1809	0.02		
			1812	0.12		
			1813	0.05		
			1814	0.02		
			1815	0.17		
			योग	8.33		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-590.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	बघरा साजौर	202/मि-1	0.14	कार्यपालन यंत्री, जल	महुअर मध्यम परियोजना की
			202/मिन-2	0.20	संसाधन संभाग शिवपुरी,	दायीं तट नहर की उपशाखा
			202/मिन-3	0.28	जिला शिवपुरी म.प्र.	क्रमांक एक एवं दो का निर्माण
			204	0.02		कार्य हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			205/मिन-2	0.09		
			206	0.13		
			207	0.44		
			219	0.15		
			220	0.02		
			221	0.25		
			312	0.01		
			435	0.15		
			436	0.40		
			438	0.15		
			445/मिन-2	0.06		
			452	0.02		
			453	0.09		
			455/1	0.14		
			455/2	0.04		
			470	0.03		
			471	0.11		
			607	0.12		
			608	0.08		
			1003/मिन-2	0.06		
			1003/मिन-3	0.06		
			1003/मिन-4	0.06		
			1004	0.08		
			1006	0.08		
			1010	0.04		
			1015	0.20		
			1018	0.12		
			1022	0.17		
			1023	0.03		
			योग	4.02		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 16 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 005-अ-82-वर्ष-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—झिरमिला करियापानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.57 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार (3)
(1)	(2)	(3)
1621/2	0.75	निजी भूमि
1621/1	0.58	निजी भूमि
1623	0.08	निजी भूमि
1629	0.53	निजी भूमि
1637	0.04	निजी भूमि
1638	0.08	निजी भूमि
1640	0.12	निजी भूमि
1925	0.12	निजी भूमि
1645	0.16	निजी भूमि
1646	0.24	निजी भूमि
1672/2	0.40	निजी भूमि
1672/3	0.40	निजी भूमि
1672/4	0.40	निजी भूमि
1672/5	0.40	निजी भूमि
1672/6	0.40	निजी भूमि
1672/7	0.32	निजी भूमि
1672/8	0.40	निजी भूमि
1672/9	0.80	निजी भूमि
1672/10	0.40	निजी भूमि
1675	0.03	निजी भूमि
1676	0.25	निजी भूमि
1677	0.22	निजी भूमि
1678	0.22	निजी भूमि
1679	0.05	निजी भूमि
1680	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1681	0.15	निजी भूमि
1682	0.10	निजी भूमि
1683	0.47	निजी भूमि
1684	0.03	निजी भूमि
1685	0.03	निजी भूमि
1686	0.17	निजी भूमि
1923	0.36	निजी भूमि
1687	0.24	निजी भूमि
1741/6	0.90	निजी भूमि
1741/5	1.00	निजी भूमि
1919	0.62	निजी भूमि
1623/1958	0.09	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 11.57

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इमलिया तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 006-अ-82-वर्ष-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छोटे गये रकबों का (पूरक अवार्ड) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—सुडौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार (3)
(1)	(2)	(3)
1428	0.01	निजी भूमि
1429	0.06	निजी भूमि
1430	0.02	निजी भूमि
1437	0.05	निजी भूमि
1440/2	0.04	निजी भूमि
1441	0.02	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 0.20

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 007-अ-82-वर्ष-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे गये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—पडेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.09 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
269	0.01	निजी भूमि
695	0.04	निजी भूमि
743	0.02	निजी भूमि
1076	0.01	निजी भूमि
1095	0.01	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.09

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे गये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर

- (ग) ग्राम—पुरैना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.44 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1456	0.05	निजी भूमि
1457	0.04	निजी भूमि
1458	0.05	निजी भूमि
2211	0.04	निजी भूमि
3328	0.01	निजी भूमि
3359	0.25	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.44

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 009-अ-82-वर्ष-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे गये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—महिलवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.14 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
3128	0.02	निजी भूमि
3129	0.10	निजी भूमि
3130	0.02	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.14

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 011-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुए रकबों का (पूरक अर्वार्ड) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—कचौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.02 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1912	0.02	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .		0.02

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 013-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुए रकबों का (पूरक अर्वार्ड) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.11 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2365	0.01	निजी भूमि
2496	0.10	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .		0.11

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 014-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुए रकबों का (पूरक अर्वार्ड) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—ठरका
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.53 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
728/2	0.26	निजी भूमि
720/2	0.07	निजी भूमि
729	0.12	निजी भूमि
721	0.08	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .		0.53

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 016-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुए रकबों का (पूरक अर्वार्ड) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर

- (ग) ग्राम—गजन्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.99 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
369	0.01	निजी भूमि
1067	0.01	निजी भूमि
1070	0.02	निजी भूमि
1068	0.05	निजी भूमि
1071	0.02	निजी भूमि
1073	0.05	निजी भूमि
1075	0.08	निजी भूमि
1080	0.02	निजी भूमि
1090	0.02	निजी भूमि
1424	0.06	निजी भूमि
1687/2	0.15	निजी भूमि
1687/3	0.30	निजी भूमि
1687/4	0.15	निजी भूमि
1730	0.04	निजी भूमि
1755/1	0.58	निजी भूमि
1755/2	0.31	निजी भूमि
1755/3	0.05	निजी भूमि
1755/4	0.07	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 1.99

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गजन्दा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 024-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुए रकबों का (पूरक अवाई) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर

- (ग) ग्राम—लमतारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.33 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
123	0.03	निजी भूमि
138	0.03	निजी भूमि
145	0.27	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 0.33

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लमतारा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 025-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुए रकबों का (पूरक अवाई) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—चकरभटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.03 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
244	0.01	निजी भूमि
437	0.02	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 0.03

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 028-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुए रकबों का (पूरक अवाई) धारा 6

के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—सिमराकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.440 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1077/2/क/1	0.060	निजी भूमि
1070/1	0.060	निजी भूमि
368	0.080	निजी भूमि
317/1	0.090	निजी भूमि
367	0.030	निजी भूमि
363/1/क	0.040	निजी भूमि
361/2	0.010	निजी भूमि
362/2	0.160	निजी भूमि
266/1	0.010	निजी भूमि
361/3/क	0.050	निजी भूमि
359/1	0.020	निजी भूमि
358/1	0.040	निजी भूमि
349/1	0.050	निजी भूमि
346/1/क	0.030	निजी भूमि
346/2/क	0.040	निजी भूमि
346/3/क	0.030	निजी भूमि
345	0.010	निजी भूमि
322/1/क	0.030	निजी भूमि
322/2/क	0.030	निजी भूमि
321/1क	0.040	निजी भूमि
265/1	0.090	निजी भूमि
268	0.020	निजी भूमि
253/1	0.040	निजी भूमि
254/1	0.080	निजी भूमि
1111/2	0.090	निजी भूमि
1110	0.090	निजी भूमि
259/1	0.010	निजी भूमि
260/1	0.010	निजी भूमि
1115	0.100	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 1.440

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिमरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 034-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुए रकबों का (पूरक अवार्ड) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—सलैया फेरन सिंह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.09 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2303	0.01	निजी भूमि
2297	0.01	निजी भूमि
1001	0.01	निजी भूमि
1024	0.03	निजी भूमि
1035	0.01	निजी भूमि
2077	0.01	निजी भूमि
1932	0.01	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.09

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सलैया फेरन सिंह तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 036-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुए रकबों का (पूरक अवार्ड) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
638	0.04	निजी भूमि
639	0.03	निजी भूमि
2666	0.04	निजी भूमि
2567	0.05	निजी भूमि
1310	0.05	निजी भूमि
2569	0.05	निजी भूमि
2577	0.04	निजी भूमि
1148	0.05	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 0.35

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 037-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुए रकबों का (पूरक अवाई) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—रैगुवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.29 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2271	0.02	निजी भूमि
2268	0.01	निजी भूमि
244	0.26	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 0.29

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रैगुवां तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 038-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुए रकबों का (पूरक अवाई) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—रैगुवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.140 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
12	0.200	निजी भूमि
72	0.090	निजी भूमि
73	0.050	निजी भूमि
65	0.050	निजी भूमि
66	0.040	निजी भूमि
64	0.020	निजी भूमि
125	0.180	निजी भूमि
67	0.020	निजी भूमि
74	0.150	निजी भूमि
130	0.050	निजी भूमि
129	0.030	निजी भूमि
110	0.070	निजी भूमि
175/1	0.120	निजी भूमि
176	0.100	निजी भूमि
694	0.260	निजी भूमि
827	0.020	निजी भूमि
815	0.100	निजी भूमि
830	0.100	निजी भूमि
814	0.120	निजी भूमि
817	0.080	निजी भूमि
819/2kh	0.080	निजी भूमि
114	0.020	निजी भूमि
133	0.040	निजी भूमि
818	0.080	निजी भूमि
111	0.030	निजी भूमि
112	0.040	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 2.140

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गिटपिटा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 044-अ-82-वर्ष-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुए रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—गुनौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.458 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1423/1	0.304	निजी भूमि
1423/2	0.304	निजी भूमि
1425	0.259	निजी भूमि
1426	0.129	निजी भूमि
1357	0.235	निजी भूमि
1336	0.065	निजी भूमि
1337/1	0.114	निजी भूमि
1337/2	0.048	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 1.458

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुनौर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 045-अ-82-वर्ष-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुए रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—किशनपाटन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.30 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
858	0.10	निजी भूमि
523	0.20	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 0.30

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बघवारकलां तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 125-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—मुढ़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.34 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1/1	0.18	निजी भूमि
1/2	0.80	निजी भूमि
1/3	0.80	निजी भूमि
2	0.45	निजी भूमि
3	0.31	निजी भूमि
4	0.10	निजी भूमि
5	0.09	निजी भूमि
6	0.11	निजी भूमि
7	1.03	निजी भूमि
8	0.18	निजी भूमि
9	0.14	निजी भूमि
10	0.21	निजी भूमि
11	0.42	निजी भूमि
12	0.17	निजी भूमि
13	0.15	निजी भूमि
14	0.15	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
15	0.07	निजी भूमि
16	0.20	निजी भूमि
17	0.23	निजी भूमि
18	0.28	निजी भूमि
19	0.20	निजी भूमि
20	1.72	निजी भूमि
21	0.57	निजी भूमि
22	0.14	निजी भूमि
23	0.14	निजी भूमि
7/24	0.50	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 9.34

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 127-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुए रकवों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—गंजखाई हार ग्राम गंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.82 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
700	0.23	निजी भूमि
701	0.09	निजी भूमि
702	0.09	निजी भूमि
703	0.10	निजी भूमि
705	0.31	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.82

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 128-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुए रकवों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—गुनौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.390 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1177	0.030	निजी भूमि
1176	0.080	निजी भूमि
1175	0.030	निजी भूमि
1174	0.040	निजी भूमि
1173	0.105	निजी भूमि
1167	0.060	निजी भूमि
1268	0.405	निजी भूमि
1269	0.640	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 1.390

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुनौर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 132-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुए रकवों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6

के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—द्वारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.680 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
4/1	0.800	निजी भूमि
4/2	0.800	निजी भूमि
4/3	0.800	निजी भूमि
20	0.280	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 2.680

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 152-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—ककरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.580 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
183/1	0.250	निजी भूमि
199/475/2	0.120	निजी भूमि
183/2	0.250	निजी भूमि
199/475/3	0.120	निजी भूमि
183/3	0.250	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
199/475/4	0.120	निजी भूमि
184/1	0.900	निजी भूमि
184/2	0.130	निजी भूमि
199/2	0.780	निजी भूमि
185/1	1.050	निजी भूमि
198	0.240	निजी भूमि
185/2	1.060	निजी भूमि
185/3	0.800	निजी भूमि
199/1	0.600	निजी भूमि
199/3	0.910	निजी भूमि
199/475/1	0.400	निजी भूमि
200	1.200	निजी भूमि
211	0.430	निजी भूमि
201	1.300	निजी भूमि
202	0.410	निजी भूमि
205	0.020	निजी भूमि
207	1.000	निजी भूमि
208	0.460	निजी भूमि
203	0.400	निजी भूमि
204	0.020	निजी भूमि
209/1	0.040	निजी भूमि
204/2	0.020	निजी भूमि
209/2	0.040	निजी भूमि
204/3	0.020	निजी भूमि
206	0.020	निजी भूमि
209/3	0.040	निजी भूमि
210	0.100	निजी भूमि
212/1	0.230	निजी भूमि
212/2	0.200	निजी भूमि
212/3	0.700	निजी भूमि
213/1	0.850	निजी भूमि
213/2	0.850	निजी भूमि
215	0.150	निजी भूमि
217/1	0.100	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 16.580

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलहा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 153-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—मडवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.080 हेक्टर.

खसरा कुल अर्जित रकबा भूमि का प्रकार
नम्बर (हेक्टेयर में)

(1)	(2)	(3)
303/1	1.000	निजी भूमि
303/2	0.160	निजी भूमि
304/1	0.320	निजी भूमि
311/1	0.300	निजी भूमि
304/2	0.310	निजी भूमि
311/2	0.300	निजी भूमि
311/3	0.300	निजी भूमि
305	0.460	निजी भूमि
307	0.280	निजी भूमि
308	0.240	निजी भूमि
314/1	1.000	निजी भूमि
314/2	1.600	निजी भूमि
315/1	1.200	निजी भूमि
315/2	1.570	निजी भूमि
317/1	1.000	निजी भूमि
319/1	0.600	निजी भूमि
317/2	1.000	निजी भूमि
318/1	0.190	निजी भूमि
321/1	0.400	निजी भूमि
328/1	0.200	निजी भूमि
318/2	1.450	निजी भूमि
320	1.260	निजी भूमि
322	1.080	निजी भूमि
319/2	0.400	निजी भूमि
321/2	0.400	निजी भूमि
328/2	0.250	निजी भूमि
321/3	0.400	निजी भूमि
328	0.200	निजी भूमि
321/4	0.400	निजी भूमि
328/4	0.250	निजी भूमि
334/1	1.000	निजी भूमि
334/2	0.200	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
334/3	0.100	निजी भूमि
335/1	0.100	निजी भूमि
335/2	0.060	निजी भूमि
337	0.100	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 20.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिल्हा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 158-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—खम्हरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.17 हेक्टर.

खसरा कुल अर्जित रकबा भूमि का प्रकार
नम्बर (हेक्टेयर में)

(1)	(2)	(3)
1471	0.010	निजी भूमि
1472	0.160	निजी भूमि
1473	0.050	निजी भूमि
1474	0.120	निजी भूमि
1418	0.080	निजी भूमि
1421	0.120	निजी भूमि
1420/1	0.054	निजी भूमि
1422	0.110	निजी भूमि
1423	0.090	निजी भूमि
1424	0.060	निजी भूमि
1425	0.060	निजी भूमि
1434	0.090	निजी भूमि
1420/2	0.060	निजी भूमि
1415	0.012	निजी भूमि
1417	0.030	निजी भूमि
1426	0.130	निजी भूमि
1427	0.060	निजी भूमि
1428/2	0.260	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1433	0.130	निजी भूमि	1293	0.01	निजी भूमि
1435	0.100	निजी भूमि	1295	0.19	निजी भूमि
1436/2	0.050	निजी भूमि	4171	0.09	निजी भूमि
1428/1	0.230	निजी भूमि	4193	0.71	निजी भूमि
1431	0.060	निजी भूमि	1296/2	0.40	निजी भूमि
1432	0.060	निजी भूमि	1297	0.87	निजी भूमि
1436/1	0.040	निजी भूमि	1298	0.12	निजी भूमि
1437	0.110	निजी भूमि	4150	0.09	निजी भूमि
1438	0.050	निजी भूमि	1302	0.02	निजी भूमि
1440	0.070	निजी भूमि	1303	0.09	निजी भूमि
1441	0.080	निजी भूमि	4148	0.05	निजी भूमि
1442	0.110	निजी भूमि	4149	0.08	निजी भूमि
1443	0.120	निजी भूमि	4151	0.06	निजी भूमि
1444	0.070	निजी भूमि	4152	0.15	निजी भूमि
1445	0.080	निजी भूमि	4170/2	0.48	निजी भूमि
1446	0.080	निजी भूमि	4170/3	1.00	निजी भूमि
1439	0.070	निजी भूमि	4179	0.01	निजी भूमि
1447	0.070	निजी भूमि	4189	0.05	निजी भूमि
1448	0.012	निजी भूमि	4190	0.03	निजी भूमि
1449	0.022	निजी भूमि	4191	0.04	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	3.17		4192	0.12	निजी भूमि
			4195/1	0.53	निजी भूमि
			4195/2	0.27	निजी भूमि
			4196	0.02	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—खम्हरिया तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 162-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—लमतारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.53 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1285	0.03	निजी भूमि
1286	0.02	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 5.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 167-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—पौसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.62 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
199/2	0.50	निजी भूमि
258/2	0.20	निजी भूमि
202	0.24	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
203	0.66	निजी भूमि	322	0.15	निजी भूमि
204	0.18	निजी भूमि	250/2	0.81	निजी भूमि
211	0.18	निजी भूमि	252	0.87	निजी भूमि
209	0.27	निजी भूमि	255	0.07	निजी भूमि
210	0.16	निजी भूमि	256	0.17	निजी भूमि
212	0.24	निजी भूमि	259	0.53	निजी भूमि
213	0.39	निजी भूमि	260	0.40	निजी भूमि
214	0.21	निजी भूमि	257	0.06	निजी भूमि
215	0.27	निजी भूमि	261	0.15	निजी भूमि
216	0.35	निजी भूमि	263	0.62	निजी भूमि
217	0.31	निजी भूमि	264/2	0.30	निजी भूमि
218	0.80	निजी भूमि	264/3	0.52	निजी भूमि
219	0.04	निजी भूमि	264/4	0.13	निजी भूमि
220	0.05	निजी भूमि	265	0.11	निजी भूमि
226	0.11	निजी भूमि	266	0.08	निजी भूमि
234/2	0.10	निजी भूमि	267	0.09	निजी भूमि
221	0.19	निजी भूमि	268	0.15	निजी भूमि
224	0.10	निजी भूमि	269	0.12	निजी भूमि
225	0.09	निजी भूमि	270	0.12	निजी भूमि
227	0.20	निजी भूमि	271/3	0.41	निजी भूमि
229	0.20	निजी भूमि	271/2	1.00	निजी भूमि
230	0.09	निजी भूमि	271/4	1.60	निजी भूमि
231	0.19	निजी भूमि	814/2	0.50	निजी भूमि
222	0.37	निजी भूमि	273	1.58	निजी भूमि
223	0.10	निजी भूमि	305	0.12	निजी भूमि
228	0.25	निजी भूमि	306	0.28	निजी भूमि
232	0.26	निजी भूमि	307	0.28	निजी भूमि
233	0.07	निजी भूमि	308	0.66	निजी भूमि
234/1	0.66	निजी भूमि	807	0.06	निजी भूमि
253	0.06	निजी भूमि	309/2	1.00	निजी भूमि
237/2	0.31	निजी भूमि	315	0.16	निजी भूमि
240	0.14	निजी भूमि	248/1446	0.29	निजी भूमि
241	0.06	निजी भूमि	316	0.14	निजी भूमि
242	0.15	निजी भूमि	323	0.18	निजी भूमि
243/4	0.20	निजी भूमि	324	0.16	निजी भूमि
243/2	1.20	निजी भूमि	329	0.69	निजी भूमि
243/3	1.20	निजी भूमि	330	0.34	निजी भूमि
244	0.68	निजी भूमि	331	0.21	निजी भूमि
246	0.53	निजी भूमि	332	0.21	निजी भूमि
245	0.63	निजी भूमि	321	0.19	निजी भूमि
247	0.29	निजी भूमि	805/1	0.53	निजी भूमि
317	0.11	निजी भूमि	805/2	1.00	निजी भूमि
318	0.10	निजी भूमि	813	0.26	निजी भूमि
319	0.20	निजी भूमि	333	0.06	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
206	0.30	निजी भूमि
804	0.07	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	31.62	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पौसी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 226-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवाई) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—माधवपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.60 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
28/1	0.09	निजी भूमि
29	0.08	निजी भूमि
56	0.03	निजी भूमि
55	0.02	निजी भूमि
30/1	0.02	निजी भूमि
51	0.01	निजी भूमि
68/2	0.08	निजी भूमि
47	0.08	निजी भूमि
46/1	0.02	निजी भूमि
46/2	0.05	निजी भूमि
52	0.02	निजी भूमि
54	0.05	निजी भूमि
53	0.05	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.60	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 220-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवाई) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—महुआडाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.477 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
250	0.030	निजी भूमि
255	0.067	निजी भूमि
256	0.090	निजी भूमि
257	0.072	निजी भूमि
258	0.039	निजी भूमि
260/2	0.010	निजी भूमि
261	0.048	निजी भूमि
262	0.020	निजी भूमि
263	0.005	निजी भूमि
264	0.110	निजी भूमि
266/2	0.072	निजी भूमि
273	0.050	निजी भूमि
343/2	0.090	निजी भूमि
363/1	0.168	निजी भूमि
363/2	0.168	निजी भूमि
360	0.168	निजी भूमि
354/2	0.072	निजी भूमि
354/3	0.050	निजी भूमि
358/1	0.048	निजी भूमि
358/2	0.080	निजी भूमि
358/3	0.048	निजी भूमि
358/4	0.072	निजी भूमि
358/7	0.048	निजी भूमि
272	0.020	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.477	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 221-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—रामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.216 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1100/1	0.090	निजी भूमि
1180	0.005	निजी भूमि
1175	0.036	निजी भूमि
1295	0.010	निजी भूमि
1291/1	0.055	निजी भूमि
1303	0.020	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.216

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 222-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज

- (ग) ग्राम—सिरी

- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.100 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2722	0.035	निजी भूमि
683	0.020	निजी भूमि
681	0.045	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.100

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 224-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—मझगावांशेख
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.138 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
362	0.138	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.138

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश		(1)	(2)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,		279	0.10
राजस्व विभाग		280	0.09
अलीराजपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2013		281	0.32
क्र. भू-अर्जन-2013-419-प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि,		285	0.18
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई		289 पैकी	0.03
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में		295	0.15
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-		282	0.03
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के		283 पैकी	0.04
अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की		290 पैकी	0.04
उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		284 पैकी	0.10
		293 पैकी	0.13
		287 पैकी	0.03
		292 पैकी	0.15
		294	0.14
		387	0.30
		307	0.20
		309	0.56
		314 पैकी	0.20
		375	0.25
		382	0.06
		384	0.10
		310 पैकी	0.15
		340	0.15
		377	0.10
		379	0.03
		383	0.06
		316 पैकी	0.40
		339 पैकी	0.81
		376	0.08
		380 पैकी	0.06
		373	0.016
		676/1	0.06
		678	0.24
		688	0.22
		690	0.08
		676/2 पैकी	0.06
		689	0.24
		752/1 पैकी	0.05
		677	0.17
		679	0.27
		680	0.05
		682/2	0.05
		682/1	0.06
		684	0.07

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर (म.प्र.)
 (ख) तहसील—चंद्रशेखर आजाद नगर
 (ग) ग्राम—सेजावाडा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—10.35 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)		
31 पैकी	0.18		
32 पैकी	0.21		
54 पैकी	0.25		
35	0.08		
98 पैकी	0.22		
36 पैकी	0.10		
52	0.05		0.016
37	0.04		
53	0.07		
38	0.04		
96 पैकी	0.15		
101 पैकी	0.17		
102 पैकी	0.19		
103/1/1	0.06		
103/2 पैकी	0.20		
149 पैकी	0.35		
278 पैकी	0.03		
288 पैकी	0.03		
306 पैकी	0.04		
386	0.05		

(1)	(2)
772/2 पैकी	0.03
769 पैकी	0.20
775/2	0.10
772/1 पैकी	0.03
775/1	0.28
776	0.05
781	0.21
785 पैकी	0.12
योग . .	<u>10.35</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—सेजावाड़ा सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

मन्दासौर, दिनांक 18 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 06-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मन्दासौर
(ख) तहसील—सुवासरा

- (ग) ग्राम—देवरिया विजय
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.50 हेक्टर.

(i) डूब क्षेत्र

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
233	0.28
234	0.08
232	0.70
128/17	0.33
128/16	0.03
128/2	0.50
128/3	0.50
128/4	0.50
128/5	0.46
128/6	0.23
128/7	0.10
131	0.34
225	0.04
227	0.02

(ii) नहर कार्य

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
128/16	0.05
128/15	0.07
128/14	0.06
128/13	0.07
128/12	0.06
128/11	0.08

योग . . 4.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—देवरिया विजय तालाब डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामऊ जिला मन्दासौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मन्दसौर
(ख) तहसील—सीतामउ
(ग) ग्राम—करणपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.65 हेक्टर.

(i) डूब क्षेत्र

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
23	0.41
48/1	0.50
48/2	0.50
22	0.16
59	0.94
50	0.04
47	0.95
46	0.04
173	0.14
174	0.14
175	0.03
107	0.03
106	0.02
91	0.45
92/1	0.22
92/2	0.68
43	0.60
42	0.32
25	0.11
93	2.88
योग	9.16

(ii) नहर कार्य

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
107	0.09
109	0.06

(1)	(2)
115	0.04
102	0.08
101	0.10
121	0.03
144	0.04
146	0.05
योग	0.49
महायोग	9.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—फतेहपुर चिकली तालाब डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामउ, जिला मन्दसौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मन्दसौर
(ख) तहसील—सीतामउ
(ग) ग्राम—चिकली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—45.52 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
260	0.02
363	0.21
381	0.16
375	0.38
372,373	0.23
355	0.05
304	0.09
303	0.03
305	0.08
434	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
428	0.03	272	0.04
430	0.02	273	0.17
326	0.01	275	0.43
327	0.01	276	0.20
336	0.24	365	0.26
338	0.57	366	0.21
342	0.03	285	0.25
321	0.32	286	0.05
318, 319	0.24	287	0.28
317	0.31	284/1	0.10
183	1.01	284/2	0.10
180	0.10	284/3	0.04
179/2	0.72	264	0.20
174/2	0.01	265/1	0.52
201	0.07	265/2	0.36
206/3	0.07	265/3	0.31
210	0.03	379	0.29
214	0.03	380	0.13
213	0.02	376	0.10
212	0.32	377	0.10
211	1.20	371	0.02
231/1, 231/2	0.99	267	1.04
231/3		277	0.28
233	0.25	278	0.16
234	0.25	279	0.21
235	0.22	281/1	0.09
236	0.22	281/2	0.10
237	0.20	269	0.39
238	0.20	361	0.19
239	0.12	362	0.13
240	0.12	364/1	0.24
241	0.12	364/2	0.24
242	0.03	300/1	0.40
243	0.05	300/2	0.40
244	0.12	300/3	0.40
245	0.51	301	0.36
246	0.05	302	0.26
268	0.19	354	0.22
269	0.19	306	0.09
270	0.43	307	0.09
271	0.21	308	0.09

(1)	(2)	(1)	(2)
310/1	0.07	296	0.21
310/2	0.07	191	0.30
309/1	0.04	262/2	0.50
309/2	0.5	262/3	0.50
313	0.43	262/4	0.50
298	0.20	262/5	0.50
292	1.35	262/6	0.50
291	0.17	262/7	0.42
297	0.19	262/8	0.08
315	0.32	252/1	0.50
314	0.30	252/2	0.50
320	0.06	252/4	0.50
316	0.08	252/5	0.50
294/1	0.48	250/1	0.50
294/2	0.48	250/2	0.50
294/3	0.20		योग . 45.52
294/4	0.48		
294/5	0.20	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—फतेहपुर चिकली तालाब डूब क्षेत्र हेतु.	
185	0.09	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामऊ जिला मन्दसौर में किया जा सकता है.	
186	0.48		
187	0.54		
188	0.54		
189/1	0.26	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
189/2	0.25	शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
193	0.54		
195	0.31		
194	0.52	कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश	
174/3	0.30	कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना	
204/1	0.69	(नहर) बड़वानी (म. प्र.)	
204/2	0.70	बड़वानी, दिनांक 18 अप्रैल 2013	
203	2.42	क्र. 525-भू.अ. नहर-2013-शुद्धि-पत्र.—कार्यालय कलेक्टर, बड़वानी, जिला बड़वानी, की उद्घोषणा क्रमांक 391-भू-अर्जन-नहर-2013 बड़वानी, दिनांक 19 फरवरी 2013, प्रकरण क्रमांक 43-अ-82-2011-12, ग्राम साकड़ (तहसील-अंजड़), जिला-बड़वानी की धारा 6 का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में प्रकाशन दिनांक 15 मार्च 2013 में पृष्ठ क्रमांक 902 पर किया गया है, जिसमें त्रुटिवश खसरा नम्बर 32/4/ड पैकि रकबा 0.065 हेक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 32/ड पैकि. रकबा 0.065 हेक्टर प्रकाशित हो गया है. जिसे संशोधित कर खसरा नम्बर 32/4/ड पैकि रकबा 0.065 हेक्टर पढ़ा जावे.	
255/2	0.50		
255/3	0.50		
251	0.70		
299/1	1.24		
299/2	1.36		
299/3	0.20		
293/1	0.31		
293/1/2	0.31		
393/2	0.25		
295	0.20	जी. एस. डोडिया, भू-अर्जन अधिकारी.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 12 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 2-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—टोंकखुर्द
(ग) ग्राम—लसुडिया कुलमी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.30 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	डूब का रकबा (हे. में)
(1)	(2)
622	0.11
625	0.19
योग.	0.30

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लसुडिया कुलमी तालाब की नहर निर्माण होने से.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्र. भूमि संपादन-2013-2594.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन
(ग) ग्राम—कस्बा उज्जैन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1256.44 वर्गमीटर.

भूमि स्वामी

अर्जित रकबा
(वर्गमीटर में)

(1)

(2)

- | | | |
|---|--------|-----------------------|
| 1. शारदा पति प्रसन्न चतुवेदी | 166.53 | वर्गमीटर निर्मित मकान |
| 2. श्रीधर अरविंद निशिकांत गणेश परचुरे | 120.37 | वर्गमीटर निर्मित मकान |
| 3. आशीष पिता चन्द्रशेखर शर्मा | 85.55 | वर्गमीटर निर्मित मकान |
| 4. श्री विनायक तेलंग | 154.16 | वर्गमीटर निर्मित मकान |
| 5. श्री साई फाउंडेशन | 249.6 | वर्गमीटर निर्मित मकान |
| 6. प्रकाश पिता जी. व्ही. रांगणेकर | 78.6 | वर्गमीटर निर्मित मकान |
| 7. आधार पिता उल्लास गंधे | 85.12 | वर्गमीटर निर्मित मकान |
| 8. आधार पिता उल्लास गंधे | 52 | वर्गमीटर निर्मित मकान |
| 9. विशाला पिता नारायण राव संध्या पिता दिलीश कुमार | 102.25 | वर्गमीटर निर्मित मकान |
| 10. सुशीला टिकेकर | 162.25 | वर्गमीटर निर्मित मकान |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—श्री महाकाल मंदिर प्रांगण के सामने स्थित भवनों का अधिग्रहण.

- (3) भूमि अर्जन का प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2013

प्र. क्र.अ-82-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—गहरवार (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.130 हेक्टेयर

भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
436	0.680
2564	0.100
2570	0.350
योग :	1.130

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सिंगरौली (खजुराहो) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 15 अप्रैल 2013

प. क्र.क भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—जबेरा

- (ग) नगर/ग्राम—कांटी, बिछिया, बम्हौरी सिंगौरगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.17 हेक्टेयर

ग्राम-कांटी

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
173	-	मकान
159	0.20	-
161	0.15	कुआं, मकान
281	0.22	-
160/1	0.10	-
162/5	0.16	-
171	0.05	-
280	0.22	-
योग :	1.10	

ग्राम-बिछिया

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
110/1	-	बोर
134	0.07	-
योग :	0.07	
कुल रकबा :	1.17	

ग्राम-बम्हौरी सिंगौरगढ़

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
23/1	-	बोर
योग :	-	
कुल रकबा :	1.17	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जबेरा बायपास निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेंदूखेड़ा एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर
परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. 876-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—सहिजना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.089 हेक्टेयर
(अतिरिक्त रकबा)

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
573/2	0.057
573/4	0.032
योग. .	<u>0.089</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई के शीर्ष कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 878-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़

- (ग) ग्राम—शिवपुरवा 601
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.60 हेक्टेयर
(अतिरिक्त रकबा)

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
434/1	0.30
434/2	0.30
योग. .	<u>0.60</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई के शीर्ष कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 947-भू-अर्जन-कार्य-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—बड़ौवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.784 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
645	0.088	—
642	0.240	—
639	0.176	—
626	0.336	—
630	0.176	—
627	0.104	—
39	0.397	—
38	0.237	—
36	0.179	—
37	0.004	—
23	0.218	—
5	0.119	—
6	0.054	—

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
4	0.103	-	450/15	0.13
3	0.070	-	450/16	0.14
25	0.004	-	450/17	0.10
897	0.128	-	451	0.05
999	0.004	-	452	0.31
2	0.147	-		
	योग : 2.784		योग :	1.26

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बड़ौवा माइनर नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 18 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 03-2012-13-अ-82—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) नगर/ग्राम—हीरापुर
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.26 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
450/10	0.13
450/11	0.14
450/12	0.13
450/13	0.13

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 7 के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-2012-2013-अ-82—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) नगर/ग्राम—तिंधारी
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—14.78 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
880	0.09
915	0.01
916	0.29
917	0.20
920	0.18
921	0.04
952/1	0.25
952/2	0.28
954/1	0.03
954/2	0.09
955	0.20
957	0.08
958/1	0.30
961	0.47
963	0.16

(1)	(2)	(1)	(2)
964	0.19	1878	0.35
969	0.01	1884/2	0.15
970	1.03	1885/2	0.13
971	0.01	1886	0.16
1011	0.01	1888	0.03
1013	0.25	1947	0.17
1017/1	0.51	2183	0.07
1017/2	0.37	2184	0.15
1023	0.03	2185	0.02
1024	0.47	2188	0.02
1025	0.01	2189	0.20
1192	0.03	2190	0.13
1195	0.30	2215	0.04
1196	0.01	2217	0.09
1197	0.01	2287	0.40
1199	0.12	2289/1	0.28
1200	0.02	2289/2	0.16
1201	0.13	2320	0.03
1202	0.02	2321	0.10
1203	0.03	2322/1	0.06
1204	0.01	2322/2	0.07
1205	0.03	2323	0.01
1209	0.26	2335/1	0.03
1218	0.25	2335/2	0.02
1219	0.15	2336/1	0.05
1221	0.02	2336/2	0.08
1240	0.32	2337/1	0.12
1242/1	0.24	2337/2	0.13
1242/3	0.34	2345	0.13
1245	0.25	2346	0.26
1260	0.11	2347	0.02
1264	0.22	2351	0.10
1265	0.01	2352	0.05
1840/1	0.07	2353	0.03
1840/2752	0.03	2354	0.01
1842/2	0.06	2355	0.14
1843	0.05	2356	0.04
1845	0.16	2358	0.02
1846	0.01	2359	0.02
1854/1	0.35	2363/2	0.14
1854/3	0.03	2364/1	0.04
1858	0.29	2364/2	0.05
1867	0.25	2364/3	0.06
1868	0.38	2364/4	0.03
1872	0.05	2365	0.10
1874	0.09	2366	0.03

योग 14.78

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-2012-2013-अ-82—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) नगर/ग्राम—दुल्हई
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.94 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
678	0.06
679	0.06
680	0.12
681	0.10
692	0.16
695	0.06
713	0.01
716	0.01
1042	0.07
1046	0.06
1047	0.02
1050	0.26
1051	0.15
1060	0.10
1074/1	0.05
1075/1	0.03
1075/2	0.06
1076	0.08
1077	0.10
1083	0.07
1084	0.01
1084/2185	0.03
1094/1	0.02

(1)	(2)
1095	0.26
1325	0.05
1479	0.08
1515	0.08
1521	0.11
1522	0.15
1526	0.20
1539	0.04
1540/1	0.04
1540/2	0.03
1540/3	0.03
1627	0.12
1628	0.06

योग : 2.94

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 3 एवं 4 के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-2012-2013-अ-82—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) नगर/ग्राम—रैपुरा
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—0.73 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6	0.01
7	0.01
9/1	0.05
11	0.05
12	0.04
13	0.03
14	0.06

(1)	(2)	(1)	(2)
17/1	0.01	199	0.05
46/1	0.01	200	0.05
46/2	0.06	201	0.04
46/3	0.03	203	0.01
47	0.14	204	0.06
48	0.02	205	0.01
68	0.01	206	0.06
424	0.01	207	0.05
424/433	0.19	209	0.07
कुल रकबा :	<u>0.73</u>	215	0.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 5 एवं 6 के नहर निर्माण हेतु.		216	0.07
		217	0.01
		218	0.05
		219	0.02
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.		302	0.03
		303	0.03
		304	0.04
		305	0.05
		306	0.03
		308	0.01
		324	0.07
		325	0.03
		326	0.05
		327	0.04
		328	0.05
		329	0.06
		330	0.03
		331	0.04
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय		369	0.10
(क) जिला—शिवपुरी		373	0.09
(ख) तहसील—पिछोर		374	0.05
(ग) नगर/ग्राम—नावली		375	0.06
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.28 हेक्टेयर.		376	0.01
सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा	455	0.07
	(हेक्टर में)	456	0.04
(1)	(2)	470/1	0.09
188	0.10	471	0.05
189	0.01	472	0.11
190	0.04	491	0.02
192	0.04	कुल रकबा . .	<u>2.28</u>
193	0.09	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 1 के निर्माण हेतु.	
194	0.05	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.	
195	0.02		
196	0.02		
197	0.01		
198	0.01		

प्र. क्र. 08-2012-2013-अ-82—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) नगर/ग्राम—नयाखेडा
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.68 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.15
4	0.07
5/2	0.20
238	0.01
239	0.02
246	0.19
247	0.23
248	0.13
249	0.01
258	0.12
259/1	0.01
259/2	0.01
260	0.06
327	0.05
329/1	0.07
330	0.02
331	0.02
332	0.02
333	0.03
334	0.10
335	0.01
822	0.02
823	0.14
829/1	0.09
830	0.05
831	0.10
833	0.03
848	0.06

(1)	(2)
849	0.06
850	0.01
851	0.08
854/2	0.05
854/3	0.06
856/3	0.03
870	0.01
871	0.01
872	0.02
873	0.03
874	0.01
877	0.26
882	0.03
कुल रकबा . .	2.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्रमांक 6 एवं 7 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-2012-13-अ-82—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) नगर/ग्राम—केंडर
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—0.52 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
382	0.02
383	0.07
401	0.01
402	0.07
403	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
404	0.04	369	0.04
405	0.03	370	0.20
406	0.02	371	0.10
407	0.01	372	0.10
408	0.10	373	0.10
410	0.04	374	0.04
416	0.01	396	0.09
417	0.02	397	0.05
418	0.01	398/1	0.19
कुल रकबा : <u>0.52</u>		399/मिन-1	0.05
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्रमांक 7 नहर निर्माण हेतु.		399/मिन-2	0.12
		420	0.06
		421	0.12
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.		424/2	0.12
		435	0.10
		470	0.09
शिवपुरी, दिनांक 22 अप्रैल 2013		474	0.08
		482	0.03
क्र. क्यू-भू-अर्जन-586.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		485	0.03
		487	0.13
		489	0.06
		659	0.05
		660	0.01
		661/1	0.01
		681	0.03
		682	0.12
		685	0.02
		कुल रकबा : <u>3.05</u>	
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.	
(क) जिला—शिवपुरी		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.	
(ख) तहसील—करैरा			
(ग) नगर/ग्राम—बरौंदी			
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—3.05 हेक्टेयर			
सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
72	0.08		
74	0.12		
76	0.12		
77	0.03		
338	0.02		
339	0.09		
341	0.05		
364	0.08		
365/1/1	0.16		
367	0.16		
		क्र. क्यू-भू-अर्जन-591.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
		अनुसूची	
		(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय	
		(क) जिला—शिवपुरी	
		(ख) तहसील—करैरा	

- (ग) नगर/ग्राम—मामोनी खुर्द
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—0.95 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
213	0.19
214	0.15
227/मिन-1	0.10
585/मिन-1	0.07
592/1	0.22
593/मिन-2	0.18
612/मिन-1	0.04
कुल रकबा : <u>0.95</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-592.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय
(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करैरा
(ग) नगर/ग्राम—मामोनी कला
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—0.74 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
471/मिन-2	0.10
473/मिन-1	0.12
475	0.07
528	0.26
539	0.08
541	0.11
कुल रकबा : <u>0.74</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 24 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 09-2012-13-अ-82-378.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय
(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) नगर/ग्राम—मनपुरा
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—0.67 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
615	0.42
617	0.04
618	0.16
645	0.03
704	0.02
कुल रकबा : <u>0.67</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 6 एवं 7 के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. 3809-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि

की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—परसवाड़ा
(ग) ग्राम—परसवाड़ा, प.ह.नं. 02
(घ) क्षेत्रफल—0.409 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
369	0.065
438	0.334
योग	0.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—बैहर-परसवाड़ा—लामता मार्ग के कि.मी. 29/8 में गर्डर नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण सेतु निर्माण उप संभाग, बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इटारसी, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 7332-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—इटारसी
(ग) ग्राम—रैसलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.368 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
388/4, 389/3	0.348
402/2	0.020
योग :	0.348

(2) कुल अर्जनीय क्षेत्रफल 0.368 हेक्टेयर.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7334-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—इटारसी
(ग) ग्राम—सोनासांवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.242 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73/2	0.133
78/2	0.060
79	0.056
62	0.101
89/1	0.010
51/1	0.232
54/1	0.112
73/6	0.136
80/2, 83/2	0.064
78/1	0.068
86	0.098
89/2	0.012
50/1, 49/1	0.160

(2) कुल अर्जनीय क्षेत्रफल 1.242 हेक्टेयर.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.